

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल/06-08.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 255]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 25 मई 2007—ज्येष्ठ 4, शक 1929

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 25 मई 2007

क्र. 3242-199-इकोस-अ-(प्रा.).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 24 मई 2007 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अखिल कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १७ सन् २००७

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, २००७

विषय-सूची

अध्याय—एक

प्रारंभिक

धाराएं :

१. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ.
२. परिभाषाएं.

अध्याय—दो

निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना

३. निजी विश्वविद्यालय के उद्देश्य.
४. निजी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करना.
५. प्रस्ताव का मूल्यांकन.

६. आशय-पत्र जारी करना.
७. निजी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए शर्तें.
८. अनुपालन रिपोर्ट की प्रस्तुति, सत्यापन तथा निरीक्षण.
९. स्थापना और निगमन.

अध्याय—तीन

निजी विश्वविद्यालय का प्रवर्तन तथा प्रबंध

१०. निजी विश्वविद्यालय को प्रोत्साहन.
११. विन्यास निधि.
१२. सामान्य निधि.
१३. सामान्य निधि का उपयोग.
१४. निजी विश्वविद्यालय के अधिकारी.
१५. कुलाध्यक्ष.
१६. कुलाधिपति.
१७. कुलपति.
१८. कुल सचिव.
१९. मुख्य वित्त एवं लेखा अधिकारी.
२०. अन्य अधिकारी.
२१. निजी विश्वविद्यालय के प्राधिकारी.

खण्ड :

२२. शासी निकाय.
२३. प्रबंधन बोर्ड.
२४. विद्या परिषद्.
२५. अन्य प्राधिकारी.
२६. प्रथम परिनियम.
२७. पश्चात्तर्ती परिनियम.
२८. प्रथम अध्यादेश.
२९. पश्चात्तर्ती अध्यादेश.
३०. रिक्तियाँ निजी विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या निकाय की कार्यवाही को अविधिमान्य नहीं बनाएंगी.
३१. आपात रिक्तियों का भरा जाना.
३२. समिति.
३३. निजी विश्वविद्यालय के अभिलेख के सञ्चालन की पद्धति.
३४. विनियम.
३५. परिनियम, अध्यादेश और विनियम का प्रवर्तन.

अध्याय—चार

निजी विश्वविद्यालय का विनियमन

३६. विनियामक आयोग.
३७. वार्षिक रिपोर्ट.
३८. वार्षिक लेखा एवं संपरीक्षा.
३९. नियतकालिक निरीक्षण.

अध्याय—पांच

निजी विश्वविद्यालय का परिसमापन

४०. प्रायोजी निकाय का विघटन होने पर निजी विश्वविद्यालय का प्रबंधन.
४१. कतिपय परिस्थितियों में राज्य सरकार की विशेष शक्तियाँ.

अध्याय—छह

प्रकीर्ण

४२. नियम बनाने की शक्ति.
 ४३. कठिनाईयाँ दूर करने की शक्ति.
- अनुसूची—

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १७ सन् २००७

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, २००७

[दिनांक २४ मई, २००७ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक 25 मई, 2007 को प्रथमवार प्रकाशित की गई]

मध्यप्रदेश राज्य में उच्चतर शिक्षा प्रदान करने हेतु स्ववित्तपोषित निजी विश्वविद्यालय की स्थापना और निगमन के लिये तथा उनके कृत्यों के विनियमन तथा उससे संसक्त या उनसे आनुषंगिक मामलों के लिये उपबंध करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के अठ्ठावनवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

अध्याय—एक

प्रारंभिक

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, २००७ है. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ.
- (२) इसका विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश पर है.
- (३) यह ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगा, जैसा कि राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियत करे.
२. इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,— परिभाषाएं.
 - (क) "विद्या परिषद्" से अभिप्रेत है, निजी विश्वविद्यालय की विद्या परिषद्;
 - (ख) "गरीबी रेखा से नीचे का परिवार" से अभिप्रेत है, ऐसा परिवार जिसकी आय शासन द्वारा, समय-समय पर, यथा विनिर्दिष्ट गरीबी रेखा से नीचे हो;
 - (ग) "प्रबंधन बोर्ड" से अभिप्रेत है, निजी विश्वविद्यालय का प्रबंधन बोर्ड;
 - (घ) "कुलाधिपति" से अभिप्रेत है, निजी विश्वविद्यालय का कुलाधिपति;
 - (ङ) "मुख्य वित्त एवं लेखा अधिकारी" से अभिप्रेत है, निजी विश्वविद्यालय का मुख्य वित्त एवं लेखा अधिकारी;
 - (च) "विभाग" से अभिप्रेत है, अध्ययन विभाग तथा उसमें सम्मिलित है किसी निजी विश्वविद्यालय का अध्ययन केन्द्र;
 - (छ) "कर्मचारी" से अभिप्रेत है, निजी विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति तथा इसमें सम्मिलित है निजी विश्वविद्यालय के अध्यापक तथा अन्य कर्मचारिवृन्द;
 - (ज) "विन्यास निधि" से अभिप्रेत है, निजी विश्वविद्यालय की विन्यास निधि;
 - (झ) "फ़ैस" से अभिप्रेत है, निजी विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों से किया जाने वाला संग्रहण, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए;
 - (ञ) "शासी निकाय" से अभिप्रेत है, निजी विश्वविद्यालय का शासी निकाय;

- (ट) "उच्चतर शिक्षा" से अभिप्रेत है, १०+२ स्तर से आगे ज्ञान के लिए निर्धारित पाठ्यकर्षा अथवा पाठ्यक्रम का अध्ययन;
- (त) "मुख्य परिसर" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश में स्थित निजी विश्वविद्यालय का मुख्य परिसर, जिसमें कम से कम पांच विश्वविद्यालय अध्यापन विभाग, विद्या शाखा हों और जहां कुलपति एवं कुलसचिव निवास करते हों तथा निजी विश्वविद्यालय का मुख्य कार्यालय भी स्थित हो;
- (ड) "नेशनल काउंसिल ऑफ एसेसमेन्ट एण्ड एक्क्रेडिटेशन" से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का एक स्वशासी संस्थान, नेशनल काउंसिल ऑफ एसेसमेन्ट एण्ड एक्क्रेडिटेशन, बेंगलूर;
- (ढ) "अध्यादेश" से अभिप्रेत है, निजी विश्वविद्यालय का अध्यादेश;
- (ण) "अन्य पिछड़ा वर्ग" से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना क्र. एफ-८५-पच्चीस-४-८४-दिनांक २६ दिसम्बर, १९८४ द्वारा यथा विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग;
- (त) "निजी विश्वविद्यालय" से अभिप्रेत है, इस अधिनियम के अधीन स्थापित और निगमित किया गया निजी विश्वविद्यालय;
- (थ) "अर्हता" से अभिप्रेत है, निजी विश्वविद्यालय द्वारा दी गई कोई उपाधि या कोई अन्य अर्हता;
- (द) "कुलसचिव" से अभिप्रेत है, निजी विश्वविद्यालय का कुलसचिव;
- (ध) "विनियम" से अभिप्रेत है, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन बनाए गए विनियम;
- (न) "विनियामक निकाय" से अभिप्रेत है, केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार द्वारा स्थापित केन्द्रीय या राज्य विनियामक निकाय, जो उच्चतर शिक्षा के मानक सुनिश्चित करने के लिए मानदण्ड तथा शर्तें अधिकृत करे;
- (प) "विनियामक आयोग" से अभिप्रेत है धारा ३६ के अधीन स्थापित विनियामक आयोग;
- (फ) "विनियामक परिषद्" से अभिप्रेत है, यथास्थिति, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, १९८७ (१९८७ का ५२) के अधीन स्थापित अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिवक्ता अधिनियम, १९६१ (१९६१ का २५) की धारा ४ के अधीन गठित भारतीय विभिन्न परिषद्, वास्तुविद् अधिनियम, १९७२ (१९७२ का २०) के अधीन स्थापित वास्तुविद् परिषद्, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, १९५६ (१९५६ का १०२) के अधीन गठित भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्, मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद् अधिनियम, २००० (क्रमांक १ सन् २००१) के अधीन स्थापित मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद् या भेषजी अधिनियम, १९४८ (१९४८ का ८) के अधीन गठित भारतीय भेषजी परिषद्;
- (ब) "अनुसूची" से अभिप्रेत है, इस अधिनियम की अनुसूची;
- (म) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद ३४१ के अधीन अधिसूचित अनुसूचित जातियां;
- (म) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद ३४२ के अधीन अधिसूचित अनुसूचित जनजातियां;

(य) "विद्या शाखा" से अभिप्रेत है, उच्चतर विद्या तथा गवेषण के स्थान के रूप में निजी विश्वविद्यालय द्वारा संचालित की गई संस्था;

(य, क) निजी विश्वविद्यालय के संबंध में "प्रायोजी निकाय" से अभिप्रेत है :—

(क) मध्यप्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९७३ (क्रमांक ४४ सन् १९७३) के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई सोसाइटी;

(ख) कोई रजिस्ट्रीकृत सार्वजनिक न्यास;

(ग) कम्पनी अधिनियम, १९५६ (१९५६ का सं. १) की धारा २५ के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई कम्पनी; तथा

(घ) कोई अन्य निकाय जो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया गया हो;

(य ख) "परिनिधम" से अभिप्रेत है, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन बनाए गए परिनिधम;

(य ग) "छात्र" से अभिप्रेत है, निजी विश्वविद्यालय में नामांकित कोई व्यक्ति, जो उपाधि, उपाधिपत्र, प्रमाणपत्र अथवा विद्या संबंधी अन्य विशेष सम्मान की प्राप्ति के लिए किसी पाठ्यक्रम का अध्ययन करता है;

(य घ) "अध्यापक" से अभिप्रेत है, प्राध्यापक, प्रवाचक, व्याख्याता या किसी अन्य पदनाम से ज्ञात कोई व्यक्ति, जिससे यह अपेक्षित है कि वह शिक्षा दे या गवेषणा के लिए मार्गदर्शन करे, या निजी विश्वविद्यालय के किसी पाठ्यक्रम के अध्ययन हेतु छात्रों का मार्गदर्शन करे;

(य ङ) "विश्वविद्यालय" से अभिप्रेत है, केन्द्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित या निगमित विश्वविद्यालय और इसमें सम्मिलित है ऐसी संस्था, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता प्राप्त हो;

(य च) "विश्वविद्यालय अनुदान आयोग" से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, १९५६ (१९५६ का ३) के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग;

(य छ) "विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम, २००३" से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, १९५६ (१९५६ का सं. ३) के अधीन बनाया गया विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना एवं मानक का संभारण) विनियम, २००३;

(य ज) "कुलपति" से अभिप्रेत है, निजी विश्वविद्यालय का कुलपति;

(य झ) "कुलाध्यक्ष" से अभिप्रेत है, निजी विश्वविद्यालय का कुलाध्यक्ष

अध्याय—दो

निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना

३. निजी विश्वविद्यालय के निम्नलिखित सामान्य उद्देश्य होंगे :—

निजी विश्वविद्यालय
के उद्देश्य

(क) उच्चतर शिक्षा में शिक्षण, अध्यापन तथा प्रशिक्षण की व्यवस्था करना एवं गवेषणा, ज्ञान की अभिवृद्धि एवं प्रसार के लिये उपबंध करना;

- (ख) बौद्धिक क्षमता के उच्चतर स्तर का सृजन करना;
- (ग) शिक्षा एवं प्रशिक्षण के लिए कला सुविधाओं को सुलभ करना;
- (घ) अध्यापन तथा गवेषणा एवं शिक्षा कार्यक्रमों को निरन्तर चालू रखने का प्रस्ताव करना;
- (ङ) गवेषणा एवं विकास तथा ज्ञान की सहभागिता एवं उसके उपयोग के लिए उत्कृष्टता केन्द्रों को सृजित करना;
- (च) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, तथा संबद्ध विनियामक निकाय या विनियामक परिषद् द्वारा अधिकृत मानदण्डों के अनुसार उपाधि, उपाधिपत्र, प्रमाण पत्र तथा अन्य विद्या संबंधी विशेष सम्मान के स्तर को बनाए रखना;
- (छ) विनियामक आयोग की अनुसंसा पर आधारित किसी ऐसे अन्य उद्देश्य के अनुसार कार्य करना, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अनुमोदित किया जाए,

निजी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करना

४. (१) धारा ३ में प्रणित उद्देश्यों के क्रियान्वयन हेतु निजी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए प्रस्ताव तथा परियोजना रिपोर्ट अंतर्विष्ट करते हुए प्रायोजी निकाय द्वारा विनियामक आयोग को आवेदन, ऐसी फीस के साथ तथा ऐसे प्ररूप में किया जाएगा, जैसा कि विहित किया जाए,

(२) परियोजना रिपोर्ट में निम्नलिखित विशिष्टता अंतर्विष्ट होगी, अर्थात् :-

- (क) प्रायोजी निकाय के रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र, उसके गठन तथा उपविधियों की प्रति के साथ विस्तृत ब्यौरे;
- (ख) पूर्ववर्ती पांच वर्षों के संप्रोक्षित लेखाओं के साथ प्रायोजी निकाय के वित्तीय संस्थापनों के संबंध में जानकारी;
- (ग) प्रस्तावित निजी विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर की अवस्थिति;
- (घ) निजी विश्वविद्यालय के उद्देश्य;
- (ङ) भूमि की उपलब्धता और भवन तथा अवसंरचनात्मक सुविधाओं के ब्यौरे;
- (च) निजी विश्वविद्यालय का कार्य प्रारंभ होने के पूर्व लिए जाने वाले परिसर के विकास हेतु योजना के विस्तृत ब्यौरे, जैसे भवन निर्माण संरचनात्मक सुख सुविधाएं एवं अवसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास और उपकरण के ठपपन आदि उपलब्धियों तथा पांच वर्षों के लिए चरणबद्ध कार्यक्रम की रूपरेखा;
- (छ) पांच वर्ष के लिए प्रस्तावित भूजगत व्यय की चरणबद्ध स्थिति विवरण तथा उसके स्रोत के स्रोत;
- (ज) संकाय, जैसे विज्ञान, कला, वाणिज्य, तकनीकी, शिक्षा आदि, की प्रकृति तथा संख्या, निजी विश्वविद्यालयों द्वारा प्रत्येक संकाय में किए जाने वाले प्रस्तावित अध्ययन तथा गवेषणा कार्यक्रम (स्नातक और स्नातकोत्तर) के प्रकार एवं ऐसा क्रमिक कार्यक्रम जो पाठ्यक्रमानुसार नामांकन लक्ष्य के साथ पांच वर्ष के लिए हो;
- (झ) प्रायोजी निकाय के समादेश पर संबंधित शिक्षण में अनुभव तथा विशेषज्ञता;
- (ञ) अध्ययन पाठ्यक्रमों तथा गवेषण हेतु अपेक्षित शैक्षणिक सुविधाओं की उपलब्धता जैसे अध्यापन कर्मचारिवृन्द तकनीकी या गैर-तकनीकी कर्मचारिवृन्द एवं उपकरण आदि;

- (ट) पाठ्यक्रम अनुसार या क्रियाकलाप के अनुसार आवर्ती व्यय का अनुमान तथा वित्त के स्रोत तथा अनुमानित प्रति छात्र व्यय;
- (ठ) संसाधनों का जुटाव करने की स्कीम तथा उससे संबद्ध पूंजी को लागत तथा ऐसे स्रोतों के प्रति संदाय की रीति;
- (ड) छात्रों से फीस की वसूली, निजी विश्वविद्यालय के उद्देश्यों से संबंधित अन्य क्रियाकलापों से प्रत्याशित राजस्व एवं अन्य प्रत्याशित आय के द्वारा आन्तरिक रूप से निधि को जुटाने (जेनरेट करने) की स्कीम;
- (ढ) इकाई को लागत पर व्यय के ब्यौरे के संदर्भ सहित विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए प्रस्तावित फीस का ढांचा तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा गरीबी रेखा से नीचे के परिवार के छात्रों को दी जाने वाली फीस में रियायतों या रिबेट या फीस माफ़ी तथा छात्रवृत्ति यदि कोई हो का विस्तार;
- (ण) निजी विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रमों में छात्रों के प्रवेश के लिए चयन हेतु अपनाई जाने वाली प्रस्तावित प्रणाली;
- (त) निजी विश्वविद्यालय में अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु अपनाई जाने वाली प्रस्तावित प्रणाली.

५. (१) विनियामक आयोग, निजी विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव तथा परियोजना रिपोर्ट प्राप्त होने पर, प्रस्ताव के प्राप्त होने से ६० दिन के भीतर, परियोजना रिपोर्ट में अधिकृत तथ्यों की ऐसी समीक्षा करेगा, जैसी कि वह आवश्यक समझे.

प्रस्ताव का मूल्यांकन.

(२) विनियामक आयोग समीक्षा के दौरान प्रायोजी निकाय से कोई अतिरिक्त जानकारी मांग सकेगा और ऐसी जानकारी प्राप्त होने के पश्चात्, विनियामक आयोग ९० दिन के भीतर परियोजना प्रस्ताव को मूल्यांकन करेगा.

६. (१) धारा ५ में यथा उपबंधित जांच तथा मूल्यांकन के पश्चात्, यदि विनियामक आयोग की यह राय हो कि प्रायोजी निकाय को निजी विश्वविद्यालय की स्थापना करने का अवसर दिया जाए, तो वह राज्य सरकार को सिफारिश करेगा कि इस संबंध में प्रायोजी निकाय को आशय पत्र जारी करे.

आशय पत्र जारी करना.

(२) विनियामक आयोग से अनुमति प्राप्त होने पर, राज्य सरकार प्रायोजी निकाय को राज्य में निजी विश्वविद्यालय स्थापित करने के संबंध में आशय पत्र जारी कर सकेगी.

७. धारा ६ की उपधारा (२) में यथा उपबंधित आशय पत्र में निम्नलिखित शर्तें अंतर्विष्ट होंगी, जिनके संबंध में प्रायोजी निकाय से यह अपेक्षा की जाएगी कि वह राज्य में एक निजी विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिये उन्हीं पूरी करे, अर्थात् :—

निजी विश्वविद्यालय स्थापित करने की शर्तें.

(एक) वह—

(क) मुख्य परिसर स्थापित करेगा;

(ख) धारा ११ के उपबंधों के अनुसार विन्यास निधि स्थापित करेगा;

(दो) वह स्थापित किए जाने वाले मुख्य परिसर के लिए न्यूनतम २० हेक्टर भूमि प्राप्त करेगा और उसके स्वाभित्व संबंधी कागज प्रस्तुत करेगा;

(तीन) वह प्रशासकीय प्रयोजन तथा शैक्षणिक कार्यक्रम संचालित करने के लिए भवन तथा अनुषंगी संरचना के रूप में न्यूनतम २५०० वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र उपलब्ध करायेगा;

(चार) वह निम्नलिखित प्रभाव का परिवचन देगा कि :-

- (क) निजी विश्वविद्यालय एकात्मक तथा स्ववित्तपोषित होगा;
- (ख) निजी विश्वविद्यालय की भूमि तथा भवन का उपयोग केवल निजी विश्वविद्यालय के प्रयोजन हेतु किया जाएगा;
- (ग) निजी विश्वविद्यालय के निगमन के तत्काल पश्चात् तथा कक्षाएं प्रारंभ होने के पूर्व प्रत्येक विभाग में या विषय (डिप्लोमा) में आवश्यक सहयोगी कर्मचारिवृन्द सहित पर्याप्त संख्या में संकाय सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी;
- (घ) वह छात्रों के लाभ हेतु विनियामक निकाय द्वारा अधिकथित मानकों के अनुसार उचित शैक्षणिक तथा स्वस्थ वातावरण को प्रोत्साहित करने हेतु सह-पाठ्यक्रम क्रियाकलाप, जैसे सेमिनार, वादविवाद, प्रश्नावली, कार्यक्रम तथा पाठ्येतर क्रियाकलाप जैसे क्रीड़ा, खेलकूद, राष्ट्रीय सेवा स्कीम, नेशनल केडिट कोरर्स आदि, को करेगा;
- (ङ) वह निजी विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के लिए कल्याणकारी कार्यक्रम प्रारंभ करेगा;
- (च) वह ऐसी अन्य शर्तों को पूरी करेगा तथा ऐसी अन्य जानकारी देगा जैसा कि केन्द्रीय विनियामक निकायों द्वारा समय-समय पर विहित की जाए;
- (छ) विनियामक निकाय द्वारा, समय-समय पर, अधिकथित कार्यक्रम, संकाय, अवसंरचना सुविधाओं, वित्तीय व्यवहार्यता की शर्तों को न्यूनतम मापदण्डों में मूला करेगा;
- (ज) वह स्नातक तथा स्नातकोत्तर उपाधि या उपाधिपत्र के मुख्य अध्ययन कार्यक्रम को रचना करेगा जो सुसंगत विनियमों तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या संबंधित कानूनी निकायों के मानकों की पूर्ति करेगा;
- (झ) वह विनियामक निकायों के मानकों या मार्गदर्शनों के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया तथा फीस के नियतन को अवधारित करेगा;
- (ञ) उसका नेशनल कौंसिल ऑफ एसेसमेंट एण्ड एक्क्रेडिटेशन द्वारा आवश्यक रूप से निर्धारण तथा प्रत्यायोजन किया जाएगा;
- (ट) निजी विश्वविद्यालय का अध्यापन कर्मचारिवृन्द, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अन्य संबद्ध विनियामक आयोग द्वारा विहित न्यूनतम अर्हता रखेगा तथा उसको समुचित पारिश्रमिक संदत्त करेगा;
- (ठ) निजी विश्वविद्यालय समस्त व्यक्तियों के लिए, चाहे वह किसी भी लिंग का हो, खुला रहेगा और जाति, पंथ, धर्म वंश के आधार पर उसमें भेदभाव नहीं किया जाएगा तथा निजी विश्वविद्यालय के लिए यह विधिपूर्ण नहीं होगा कि वह धार्मिक विश्वास के आधार पर किसी भी व्यक्ति का, निजी विश्वविद्यालय में अध्यापक के रूप में नियुक्ति किए जाने या उसमें किसी अन्य पद के धारण करने या उसे निजी विश्वविद्यालय में छात्र के रूप में प्रवेश दिए जाने या उसके किसी विशेषाधिकार का उपयोग या प्रयोग करने का हकदार बनाने की दृष्टि से किसी भी प्रकार परीक्षण करे या उस पर कोई परीक्षण थोपे।
- (ड) इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार संबंधित परिनियमों तथा अध्यादेशों के अनुमोदन होने तक प्रवेश तथा कक्षाओं का कार्य प्रारंभ नहीं किया जाएगा।

अनुपालन रिपोर्ट की प्रस्तुति, सत्यापन तथा निरीक्षण

८. (१) प्रायोजी निकाय सुसंगत दस्तावेजों सहित अनुपालन रिपोर्ट तथा परिवचन विनियामक आयोग को प्रस्तुत करेगा।

(२) प्रायोजी निकाय से अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त करने के पश्चात् विनियामक आयोग, उसका तथा तथ्यात्मक आंकड़ों का ऐसी रीति में परीक्षण करेगा जैसा कि वह उचित समझे।

(३) उपधारा (२) में यथाउल्लिखित अनुपालन रिपोर्ट तथा परिवचन के परीक्षण के पश्चात् यदि उसमें कोई कमी पाई जाती है तो वह प्रायोजी निकाय को निदेश देगा कि यथाशीघ्र पहचानी गई कमियों को दूर करे।

(४) विनियामक आयोग का यह समाधान हो जाने पर कि, उपधारा (३) में यथाउल्लिखित पहचानी गई कमियों को दूर कर दिया गया है, निजी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए प्रस्ताव की स्थिति के संबंध में राज्य सरकार को रिपोर्ट भेजेगा।

(५) राज्य सरकार विनियामक आयोग से उपधारा (४) में उल्लिखित रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात्, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्रस्तावित निजी विश्वविद्यालय का निरीक्षण करने का अनुरोध करेगा और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अपनी रिपोर्ट अधिक से अधिक तीन मास के भीतर प्रस्तुत करेगा या अन्यथा राज्य सरकार ऐसा विनिश्चय कर सकेगी, जैसा कि वह उचित समझे।

(६) यदि प्रायोजी निकाय नियत समय के भीतर धारा ७ में अधिकृत शर्तों का अनुपालन करने में असफल रहता है, तो धारा ४ की उपधारा (१) के अधीन प्रस्तुत किया गया परियोजना प्रस्ताव, निष्प्रभावी हो जाएगा तथा धारा ६ की उपधारा (२) के अधीन जारी किया गया आशय पत्र रद्द हो जाएगा।

९. (१) यदि धारा ८ के अधीन विनियामक आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की निरीक्षण रिपोर्ट, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात् राज्य सरकार का यह समाधान हो जाता है कि प्रायोजी निकाय ने धारा ७ के उपबंधों का पालन कर लिया है तथा उसके प्रस्ताव के आधार पर निजी विश्वविद्यालय स्थापित किया जा सकता है, तो वह अनुसूची का संशोधन करके ऐसे विशिष्ट नाम तथा विवरण सहित, जैसा कि अनुसूची में इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाए एक निजी विश्वविद्यालय स्थापित करेगी।

स्थापना और
नियमन

(२) ऐसा निजी विश्वविद्यालय, अनुसूची के संशोधन की तारीख से निर्गमित हुआ समझा जाएगा।

(३) निजी विश्वविद्यालय, अनुसूची में दर्शाए गए ऐसे नाम से एक निर्गमित निकाय होगा जिसका इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए शाश्वत उत्तराधिकार होगा एवं उसकी सामान्य मुद्रा होगी, जो सम्पत्ति अर्जित कर सकेगा तथा उसका स्वामित्व होगा, करार कर सकेगा तथा उस नाम से वाद चला सकेगा तथा उस पर वाद चलाया जा सकेगा।

(४) ऐसे निजी विश्वविद्यालय द्वारा या उसके विरुद्ध प्रस्तुत समस्त वाद या अन्य विधिक कार्यवाही में अभिवचन कुलसचिव द्वारा हस्ताक्षरित तथा सत्यापित किये जाएंगे और ऐसे वाद या कार्यवाहियों में समस्त आदेशिकाएँ कुलसचिव की जारी की जाएंगी तथा उस पर तामील की जाएंगी।

(५) निजी विश्वविद्यालय का मुख्य परिसर ऐसे स्थान पर होगा जैसा कि अनुसूची के कॉलम (५) में दर्शाया गया है।

अध्याय—तीन

निजी विश्वविद्यालय का संचालन एवं प्रबंधन

१०. धारा ७ के खण्ड (चार) के उपखण्ड (क) के उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार कारणों को लेखबद्ध करते हुए निजी विश्वविद्यालय को वित्तीय या अन्य प्रोत्साहन देने के लिए विचार कर सकेगी।

निजी विश्वविद्यालय
को प्रोत्साहन

११. (१) राज्य सरकार से, धारा ६ की उपधारा (२) में यथा उपबंधित आशय-पत्र प्राप्त होने पर, यदि कोई प्रायोजी निकाय शर्तों को पूरा करना चाहता है तथा आशय-पत्र में यथा उल्लिखित परिवचन देता है तो वह बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन तथा अंतरण) अधिनियम, १९७० (१९७० का ५) की प्रथम अनुसूची में तत्स्थानी नये बैंक के रूप में विनिर्दिष्ट किसी बैंक में पन्द्रह दिन के भीतर शाश्वत निक्षेप के रूप में पांच करोड़ की विन्यास निधि स्थापित करेगा।

विन्यास निधि

(२) यह सुनिश्चित करने के लिए कि निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, परिनियम तथा अध्यादेश के उपबंधों का पालन कर रहा है, विन्यास निधि सुरक्षा निक्षेप के रूप में प्रयुक्त होगी तथा प्रायोजी निकाय द्वारा अधिनियम, परिनियम, अध्यादेश या विनियमन के किसी भी उपबंध के उल्लंघन या भंग की दशा में, विनियामक आयोग की अनुशंसा पर राज्य सरकार विन्यास निधि को पूर्णतः या उसके किसी भाग को सूचना देने पश्चात् समपहृत कर सकेगी।

(३) निजी विश्वविद्यालय की अवसंरचना के विकास के लिए विन्यास निधि से आय का उपयोग किया जा सकेगा किन्तु इसका उपयोग निजी विश्वविद्यालय के आवर्ती व्यय हेतु नहीं किया जाएगा।

(४) विन्यास निधि के स्थापना का ढंग, उसके विनिधान का प्रकार, उससे प्राप्त आय का प्रायोजी निकाय को भुगतान, उसको समपहृत करने और प्रायोजी निकाय के वापस करने का ढंग ऐसा होगा जैसा कि विहित किया जाए।

सामान्य निधि.

१२. प्रत्येक निजी विश्वविद्यालय एक निधि की स्थापना करेगा, जो सामान्य निधि के नाम से जानी जाएगी, जिसमें निम्नलिखित राशि जमा की जाएगी, अर्थात्:—

- (क) निजी विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त फीस तथा अन्य प्रभार;
- (ख) प्रायोजी निकाय द्वारा किया गया कोई अंशदान;
- (ग) न्यास, वसीयत, दान, विन्यास तथा कोई अन्य का अनुदान; तथा
- (घ) निजी विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त अन्य सभी प्रकार की राशि;

परन्तु खण्ड (क) के अधीन छात्रों से संग्रहीत फीस का एक प्रतिशत, विनियामक आयोग के पास ऐसी रीति में, जैसी कि विहित की जाए, जमा किया जाएगा।

सामान्य निधि का
उपयोग।

१३. सामान्य निधि का उपयोग निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए किया जाएगा, अर्थात्:—

- (क) इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गये परिनियमों, अध्यादेशों तथा विनियमों के प्रयोजनों के लिए ऋण का प्रति संदाय, जिसमें प्रभारित ब्याज भी सम्मिलित है;
- (ख) निजी विश्वविद्यालय की आस्तियों का रखरखाव;
- (ग) धारा ११ एवं १२ के अधीन सृजित निधियों के अंकेक्षण की लागत का भुगतान;
- (घ) न्यायालय में ऐसेवाद या कार्यवाही के व्ययों को पूरा करना जिसमें निजी विश्वविद्यालय एक पक्षकार हो;
- (ङ) विश्वविद्यालय के अधिकारियों तथा कर्मचारियों और अध्यापन एवं शोध कर्मचारिवृन्द के सदस्यों के वेतन, भत्ते, भविष्य निधि अंशदान, उपदान तथा अन्य फायदों का भुगतान;
- (च) शासी निकाय, प्रबंधन बोर्ड, विद्या परिषद तथा निजी विश्वविद्यालय के परिनियम के अधीन इस प्रकार घोषित अन्य प्राधिकरण के सदस्यों तथा किसी प्राधिकरण या प्रायोजी निकाय के सभापति (चेयरपर्सन) या इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए परिनियमों, अध्यादेशों या विनियमों के किसी उपबंध के अनुसरण में कुलपति द्वारा नियुक्त की गई किसी समिति के सदस्यों के यात्रा भत्ते या अन्य भत्तों का भुगतान;
- (छ) यथास्थिति, गरीबी रेखा से नीचे के परिवार के छात्रों या शोध सहयुक्त (एसोसिएट्स) या प्रशिक्षु को या अन्य ऐसे छात्रों को, जो इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए परिनियमों अध्यादेशों विनियमों या नियमों के उपबंधों के अधीन ऐसे पुरस्कारों के लिए अन्यथा पात्र हों, अध्येतावृत्ति, फीस माफी, छात्रवृत्ति, सहायकवृत्ति तथा अन्य पुरस्कार का दिया जाना;
- (ज) इस अधिनियम तथा इसके अधीन बनाए गए परिनियमों, अध्यादेशों या विनियमों के उपबंधों के क्रियान्वयन में निजी विश्वविद्यालय द्वारा उपगत किए गए किसी व्यय का भुगतान;

(अ) प्रायोजी निकाय द्वारा निजी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए एवं उसके द्वारा किए गए निवेश में पूंजी की लागत का भुगतान, जो व्याज की लागू बैंक दर से अधिक न हो;

(ब) किन्हीं अन्य व्ययों का भुगतान जिसमें सम्मिलित है कोई विशिष्ट सेवा जिसके अन्तर्गत प्रायोजी निकाय की ओर से निजी विश्वविद्यालय की प्रबंधकीय सेवा आती है जो कि प्रबंधन बोर्ड द्वारा निजी विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए व्यय के रूप में अनुमोदित हो, प्रदान करने के उत्तरदायित्व से भारित किसी संगठन को देय सेवा फीस;

परन्तु निजी विश्वविद्यालय द्वारा प्रबंधन बोर्ड के पूर्व अनुमोदन के बिना, प्रबंधन बोर्ड द्वारा नियत किए गए किसी वर्ष हेतु कुल आवर्तों तथा कुल अनावर्तों व्यय हेतु निर्धारित सीमा से अधिक कोई व्यय उपगत नहीं किया जाएगा;

परन्तु यह और कि सामान्य निधि का उपयोग खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट उद्देश्य के लिये निजी विश्वविद्यालय के शासी निकाय के अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा।

१४. निजी विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे, अर्थात्:—

निजी विश्वविद्यालय के अधिकारी

- (क) कुलाध्यक्ष
- (ख) कुलाधिपति
- (ग) कुलपति
- (घ) कुलसचिव
- (ङ) मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, और
- (च) ऐसे अन्य अधिकारी जिन्हें परिणियमों द्वारा निजी विश्वविद्यालय के अधिकारी होना घोषित किया जाए

१५. (१) मध्यप्रदेश के राज्यपाल, निजी विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष होंगे,

कुलाध्यक्ष

(२) कुलाध्यक्ष, जब वे उपस्थित हों, उपाधि तथा उपाधि-पत्र प्रदान करने हेतु निजी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेंगे।

(३) कुलाध्यक्ष की निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात्:—

- (क) निजी विश्वविद्यालय के कार्यकलापों से संबंधित कोई जानकारी या अभिलेख संग्रहीत;
- (ख) जानकारी के आधार पर, यदि यह प्रतीत होता है कि निजी विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश, कार्यवाही अथवा विनियम इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए परिणियमों, अध्यादेशों या विनियमों के अनुरूप नहीं है तो कुलाध्यक्ष, विनियामक आयोग का मत प्राप्त कर सकेगा तथा ऐसा समाधान होने पर कि कोई अनियमितता हुई है, ऐसा निदेश जारी कर सकेगा, जैसा कि वह निजी विश्वविद्यालय के हित में उचित समझे, तथा इस प्रकार जारी किए गए निदेशों का, निजी विश्वविद्यालय द्वारा अनुपालन किया जाएगा।

१६. (१) कुलाध्यक्ष के अनुमोदन से कुलाधिपति प्रायोजी निकाय द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

कुलाधिपति

(२) कुलाधिपति निजी विश्वविद्यालय का प्रमुख होगा।

(३) कुलाधिपति विश्वविद्यालय को शासी निकाय की बैठकों की अध्यक्षता करेगा तथा जब कुलाध्यक्ष उपस्थित न हो, उपाधि, उपाधि-पत्र तथा अन्य विद्या संबंधी सम्मान प्रदान करने के लिए निजी विश्वविद्यालय को दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेगा।

(४) कुलाधिपति की निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात्:—

- (क) कुलपति को नियुक्त करना तथा हटाना;
- (ख) कोई जानकारी या अभिलेख मंगवाना;
- (ग) ऐसी अन्य शक्तियां जैसी कि परिनियमों द्वारा प्रदत्त की जाएं.

कुलपति

१७. (१) कुलपति को नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा इस प्रयोजन के लिए गठित चयन समिति द्वारा अनुशंसित पैनल में से की जाएगी.

(२) उपधारा (१) में निर्दिष्ट चयन समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:—

- (एक) प्रायोजी निकाय द्वारा नाम निर्दिष्ट दो छातिप्राप्त शिक्षाविद; और
- (दो) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक छातिप्राप्त व्यक्ति;

(३) कुलाधिपति चयन समिति के सदस्यों में से एक सदस्य को सभापति के रूप में नियुक्त करेगा.

(४) चयन समिति कुलपति की नियुक्ति हेतु न्यूनतम तीन छातिप्राप्त व्यक्तियों के नाम की पैनल प्रस्तुत करेगी:

परन्तु यदि कुलाधिपति, चयन समिति की अनुशंसा का अनुमोदन नहीं करता है, तो वह चयन समिति से नई अनुशंसा मंगा सकेगा.

(५) पूर्वगामी उपधारा में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कुलाधिपति, निजी विश्वविद्यालय के क्रियाकलापों को संचालित करने के लिए प्रथम कुलपति को २ वर्ष की कालावधि के लिए नियुक्त कर सकेगा.

(६) उपधारा (१) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, कुलपति चार वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा:

परन्तु कुलपति, उसकी अवधि समाप्त होने के पश्चात् भी नये कुलपति के कार्यभार ग्रहण करने तक अपने पद पर बना रहेगा, किन्तु किसी भी स्थिति में यह कालावधि छह मास से अधिक नहीं होगी.

(७) कुलपति निजी विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यपालक एवं शैक्षणिक अधिकारी होगा तथा निजी विश्वविद्यालय के क्रियाकलापों पर सामान्य पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण बनाये रखेगा और निजी विश्वविद्यालय के विभिन्न प्राधिकारियों के विनिश्चयों का क्रियान्वयन करेगा.

(८) कुलाध्यक्ष एवं कुलाधिपति की अनुपस्थिति में, कुलपति निजी विश्वविद्यालय के दीक्षा समारोह की अध्यक्षता करेगा.

(९) यदि कुलपति की राय में किसी ऐसे विषय पर तत्काल कार्यवाही करना आवश्यक हो, जिसके लिए इस अभिनियम के द्वारा या इसके अधीन किसी अन्य प्राधिकारी को शक्तियां प्रदत्त की गई हैं, तो वह ऐसी कार्यवाही करेगा जैसी कि वह उचित समझे और तदुपरि यथाशीघ्र की गई उसकी कार्यवाही की रिपोर्ट ऐसे अधिकारी अथवा प्राधिकारी को देगा जो कि सामान्यतः उस मामले में कार्यवाही करता:

परन्तु यदि संबंधित अधिकारी या प्राधिकारी के मत में ऐसी कार्यवाही कुलपति के द्वारा नहीं की जाना चाहिए थी तो ऐसा मामला कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जाएगा जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा:

परन्तु यह और कि यदि जहां कुलपति के द्वारा की गई ऐसी कोई कार्यवाही निजी विश्वविद्यालय को सेवा में के किसी व्यक्ति को प्रभावित करती है, तो ऐसा व्यक्ति ऐसी कार्यवाही की संसूचना प्राप्त होने की तारीख से तीन मास के भीतर शासी निकाय को अपील करने का हकदार होगा तथा सम्बन्धित व्यक्ति को अपील की तारीख से तीन मास के भीतर शासी निकाय का विनिश्चय संसूचित किया जाएगा.

(१०) यदि कुलपति की राय में निजी विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी का कोई विनिश्चय इस अधिनियम, तथा उसके अधीन बनाए गए परिनियम, अध्यादेशों अथवा विनियमों द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुरूप नहीं है अथवा जिसके निजी विश्वविद्यालय के हितों के प्रतिकूल होने की संभावना है तो वह संबंधित प्राधिकारी से उसका विनिश्चय पुनरीक्षित करने हेतु अनुरोध करेगा एवं उस स्थिति में जब प्राधिकारी उक्त विनिश्चय को पूर्णतः या अंशतः पुनरीक्षित करने से अस्वीकार करता है, या पन्द्रह दिन के भीतर कोई विनिश्चय करने में असमर्थ रहता है तो ऐसा मामला कुलाधिपति द्वारा विनिश्चित किया जाएगा।

(११) कुलपति, ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जैसा कि परिनियम और अध्यादेशों द्वारा विहित किया जाए।

(१२) यदि किसी समय अभ्यावेदन प्राप्त होने पर या अन्यथा कुलाधिपति को यह प्रतीत होता है कि कुलपति ने—

- (क) इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन अधिरोपित किसी कर्तव्य के निर्वहन में व्यतिक्रम किया है; या
- (ख) निजी विश्वविद्यालय के हित के प्रतिकूल रीति में कार्य किया है; या
- (ग) वह निजी विश्वविद्यालय के क्रियाकलापों के प्रबंधन में अक्षम सिद्ध हुआ है,

तो कुलाधिपति इस तथ्य के होते हुए भी कि कुलपति के पद की अवधि समाप्त नहीं हुई है, कारण दर्शाते हुये एक लिखित आदेश द्वारा कुलपति से उस तारीख से पद रिक्त करने की अपेक्षा कर सकेगा, जैसी कि आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए।

(१३) उपधारा (१२) के अधीन ऐसा कोई आदेश तब तक पारित नहीं होगा जब तक कि कुलपति को उन आधारों की विनिर्दिष्टियाँ, जिन पर ऐसी कार्रवाई को जाना प्रस्तावित है, संसूचित न कर दी गई हो, और उसे प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध कारण दर्शाने का युक्तियुक्त अवसर न दिया गया हो।

(१४) उपधारा (१२) के अधीन आदेश में विनिर्दिष्ट तारीख से कुलपति अपने पद से पदमुक्त माना जा सकेगा और कुलपति का पद रिक्त हो जाएगा।

१८. (१) कुलसचिव की नियुक्ति परिनियम द्वारा यथाविहित, शासी निकाय द्वारा इस प्रयोजन के लिए गठित विशेषज्ञ समिति की अनुशंसा पर की जावेगी तथापि प्रथम कुलसचिव की नियुक्ति प्रायोजी निकाय द्वारा दो वर्ष के लिए की जा सकेगी। कुलसचिव

(२) कुलसचिव द्वारा, निजी विश्वविद्यालय की ओर से समस्त संविदाएँ हस्ताक्षरित की जाएंगी तथा समस्त दस्तावेज एवं अभिलेख अधिप्रमाणित किये जाएंगे।

(३) कुलसचिव शासी निकाय, प्रबंधन बोर्ड और विद्या परिषद का सदस्य सचिव होगा किन्तु उसे मताधिकार नहीं होगा।

(४) कुलसचिव ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, जैसा कि परिनियमों द्वारा विहित किया जाए।

(५) यदि किसी समय अभ्यावेदन पर या अन्यथा तथा ऐसी जांच, जैसी कि आवश्यक समझी जाए, करने के पश्चात्, परिस्थितियाँ इस प्रकार इंगित करती हैं कि कुलसचिव का पद पर बने रहना निजी विश्वविद्यालय के हित में नहीं है, तो कुलपति लिखित में कारण दर्शाते हुए कुलाधिपति, से कुलसचिव को हटाने के लिये अनुरोध कर सकेगा:

परंतु ऐसी कार्रवाई करने के पूर्व कुलसचिव को सुनवाई का अवसर दिया जाएगा।

मुख्य वित्त एवं लेखा अधिकारी. १९. (१) मुख्य वित्त एवं लेखा अधिकारी की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा की जाएगी, जैसा कि परिनियमों द्वारा विहित किया जाए.

(२) मुख्य वित्त एवं लेखा अधिकारी, ऐसी शक्तियों का प्रयोग एवं ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, जैसा कि परिनियमों द्वारा विहित किया जाए.

अन्य अधिकारी. २०. (१) निजी विश्वविद्यालय ऐसे अन्य अधिकारियों की नियुक्ति कर सकेगा जो कि उसके कार्यकरण के लिए आवश्यक हों.

(२) निजी विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की रीति और उनकी शक्तियाँ व कृत्य ऐसे होंगे, जैसे कि परिनियमों द्वारा विहित किये जाएँ.

निजी विश्वविद्यालय के प्राधिकारी.

२१. (१) निजी विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे, अर्थात् :-

- (क) शासी निकाय;
- (ख) प्रबंधन बोर्ड;
- (ग) विद्या परिषद; तथा
- (घ) ऐसे अन्य प्राधिकारी, जिन्हें परिनियमों द्वारा सृजित किया जाए.

(२) शासी निकाय एवं प्रबंधन बोर्ड में नामनिर्दिष्ट सदस्यों की पदावधि तीन वर्ष होगी और कोई भी नामनिर्दिष्ट सदस्य दो लगातार पदावधि से अधिक के लिए पद धारण नहीं करेगा.

शासी निकाय.

२२. (१) निजी विश्वविद्यालय के शासी निकाय में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :-

- (क) कुलाधिपति;
- (ख) कुलपति;
- (ग) प्रायोजी निकाय द्वारा नामनिर्दिष्ट तीन छात्रों द्वारा प्राप्त व्यक्ति जिनमें कम से कम एक छात्रप्राप्त शिक्षाविद् होगा;
- (घ) राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत छह नामों की पैनल में से कुलाध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट तीन प्रतिष्ठित व्यक्ति;
- (ङ) राज्य सरकार का एक प्रतिनिधि, जो उपसचिव की पद श्रेणी से निम्न पद श्रेणी का नहीं होगा.

(२) कुलाधिपति शासी निकाय का पदेन सभापति (चेयरमैन) होगा.

(३) शासी निकाय, निजी विश्वविद्यालय का प्रमुख प्राधिकारी होगा और निजी विश्वविद्यालय की समस्त स्थावर तथा अंगम संपत्ति शासी निकाय में निहित होगी तथा उसे निम्नलिखित शक्तियाँ प्राप्त होंगी, अर्थात् :-

- (क) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए परिनियमों, अध्यादेशों या विनियमों द्वारा प्रदत्त ऐसी सभी शक्तियों का उपयोग करते हुए निजी विश्वविद्यालय के कृत्यों का नियंत्रण करना;
- (ख) निजी विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियों के विनियमों का इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाए गए परिनियमों, अध्यादेशों या विनियमों के उपबंधों के अनुरूप न होने की दशा में, पुनर्विलोकन करना;
- (ग) निजी विश्वविद्यालय के वज्र तथा वार्षिक रिपोर्ट का अनुमोदन करना;
- (घ) निजी विश्वविद्यालय द्वारा अनुसरण की जाने वाली नीतियों को अधिकृत करना;

(ड) यदि ऐसी परिस्थिति उद्भूत हो जाये कि निजी विश्वविद्यालय का कार्य करना संभव नहीं है तो प्रायोजी निकाय को यह अनुशंसा करना कि निजी विश्वविद्यालय का समापन कर दिया जाए; और

(च) ऐसी अन्य शक्तियाँ, जो परिनियमों द्वारा विहित की जाएँ;

(४) शासी निकाय की बैठक प्रत्येक कलेण्डर वर्ष में कम से कम तीन बार होगी;

(५) शासी निकाय की बैठक के लिये गणपूर्ति पांच सदस्यों से होगी।

२३. (१) प्रबंधन बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्,—

प्रबंधन बोर्ड,

(क) कुलपति;

(ख) प्रायोजी निकाय द्वारा नामनिर्दिष्ट दो प्रतिनिधि;

(ग) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट दो प्रतिनिधि;

(घ) चक्रानुक्रम द्वारा निजी विश्वविद्यालय के दो चरिष्ठतम प्राध्यापक; और

(ङ) चक्रानुक्रम द्वारा, खण्ड (घ) से भिन्न निजी विश्वविद्यालय के दो चरिष्ठतम अध्यापक।

(२) कुलपति विश्वविद्यालय के प्रबंधन बोर्ड का पदेन सभापति (चेयरपर्सन) होगा।

(३) प्रबंधन बोर्ड की शक्तियाँ एवं कृत्य ऐसे होंगे, जैसा कि परिनियमों द्वारा विहित किए जाएँ।

(४) प्रबंधन बोर्ड की प्रत्येक दो मास में कम से कम एक बैठक होगी।

(५) प्रबंधन बोर्ड की बैठक में गणपूर्ति पांच सदस्यों से होगी।

२४. (१) विद्या परिषद् में कुलपति तथा ऐसे अन्य सदस्य होंगे जैसा कि परिनियमों द्वारा विहित किया जाए। विद्या परिषद्

(२) कुलपति विद्या परिषद् का सभापति (चेयरपर्सन) होगा।

(३) विद्या परिषद् निजी विश्वविद्यालय की प्रमुख शैक्षणिक निकाय होगी तथा इस अधिनियम, परिनियमों, अध्यादेशों तथा विनियमों के उपबंधों के अधधीन रहते हुए निजी विश्वविद्यालय की सामान्य विद्या संबंधी नीतियों का समन्वय करेगी तथा उन पर सामान्य पर्यवेक्षण करेगी।

(४) विद्यापरिषद् की बैठकों के लिए गणपूर्ति ऐसी होगी जैसी कि परिनियम द्वारा विहित की जाए।

२५. विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियों की संरचना, गठन, शक्तियाँ एवं कृत्य ऐसे होंगे, जैसा कि परिनियमों द्वारा विहित किया जाए। प्राधिकारी

२६. (१) इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधधीन रहते हुए निजी विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियमों में निम्नलिखित विषयों में से सभी या किसी विषय हेतु उपबंध होगा, अर्थात् :— प्रथम परिनियम

(क) निजी विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों तथा अन्य निकायों का गठन, शक्तियाँ एवं कृत्य ऐसे होंगे, जैसा कि समय-समय पर गठित किए जाएँ;

(ख) कुलपति की नियुक्ति के निबंधन तथा शर्तें और उसकी शक्तियाँ तथा कृत्य;

- (ग) कुल सचिव, मुख्य वित्त तथा लेखा अधिकारी तथा अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की रीति और निबंधन तथा शर्तें और उनकी शक्तियां तथा कृत्य;
- (घ) अध्यापकों की नियुक्ति की रीति और निबंधन तथा शर्तें;
- (ङ) निजी विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की सेवा की रीति और निबंधन तथा शर्तें;
- (च) अधिकारियों, अध्यापकों, कर्मचारियों एवं छात्रों के बीच विवाद के मामले में मध्यस्थता हेतु प्रक्रिया;
- (छ) मानद उपाधियां प्रदान करना;
- (ज) द्यूशन फीस के भुगतान के संबंध में छात्रों को छूट देने तथा उनको छात्रवृत्ति और शिक्षावृत्ति प्रदान करने हेतु उपबंध;
- (झ) प्रवेश संबंधी नीति का उपबंध करना, जिसमें विशेषतः गरीबी रेखा के नीचे के परिवार, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, शारीरिक रूप से विकलांग एवं अन्य प्रवर्गों के छात्रों हेतु स्थानों के आरक्षण का विनियमन भी सम्मिलित है;
- (ञ) छात्रों से प्रभारित की जाने वाली फीस तथा खण्ड (झ) में उल्लिखित श्रेणियों के लिए रियायतों का उपबंध करना;
- (ट) विभिन्न पाठ्यक्रमों हेतु स्थानों की संख्या का उपबंध करना.

(२) निजी विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियम, शासी निकास द्वारा बनाए जाएंगे तथा विनियामक आयोग को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे.

(३) विनियामक आयोग, निजी विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत प्रथम परिनियमों पर उसकी प्राप्ति की तारीख से 2 मास के भीतर विचार करेगा तथा ऐसे उपान्तरणों सहित, जैसा कि वह आवश्यक समझे, अपना अनुमोदन देगा.

(४) निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग द्वारा तथा अनुमोदित प्रथम परिनियमों पर, अपनी सहमति संसूचित करेगा और यदि वह विनियामक आयोग द्वारा उपधारा (३) के अधीन किये गये उपान्तरणों को प्रभावशाली करने की वांछ नहीं रखता है तो वह उसके लिए कारण बताएगा तथा विनियामक आयोग निजी विश्वविद्यालय द्वारा दिये गये सुझावों को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकेगा.

प्रस्तावित
परिनियम.

२७. (१) इस अधिनियम एवं उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधधीन रहते हुए निजी विश्वविद्यालय के परिनियमों में निम्नलिखित में से समस्त विषयों अथवा उनमें से किसी भी विषय के लिए उपबंध हो सकेंगे, अर्थात् :-

- (क) निजी विश्वविद्यालय के नये प्राधिकांरियों का सृजन;
- (ख) लेखा नीति एवं वित्तीय प्रक्रिया;
- (ग) निजी विश्वविद्यालय के प्राधिकांरियों में अध्यापकों का प्रतिनिधित्व;
- (घ) नये विभागों का सृजन तथा विद्यमान विभागों का उत्सादन या पुनर्संरचना;
- (ङ) पदक एवं पुरस्कारों को संस्थापित करना;
- (च) पदों का सृजन एवं उसके उत्सादन की प्रक्रिया;
- (छ) फीस का पुनरीक्षण;

- (ज) विभिन्न पाठ्यक्रमों में स्थानों की संख्या में परिवर्तन; और
- (झ) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन समस्त अन्य ऐसे विषय, जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं।
- (२) निजी विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियमों से भिन्न अन्य परिनियम प्रबंधन बोर्ड द्वारा शासी निकाय के अनुमोदन से बनाये जाएंगे।
- (३) उपधारा (२) के अधीन बनाए गए परिनियम, विनियामक आयोग को भेजे जाएंगे तथा विनियामक आयोग, यदि आवश्यक समझे, परिनियम की प्राप्ति की तारीख से दो मास के भीतर उनमें उपांतरणों के लिए सुझाव दे सकेगा।
- (४) शासी निकाय, विनियामक आयोग द्वारा सुझाये गये उपांतरणों पर विचार करेगा एवं सुझावों पर अपनी टिप्पणी सहित परिनियमों को विनियामक आयोग को वापस करेगा।
- (५) विनियामक आयोग, शासी निकाय द्वारा दिये गये सुझावों पर विचार करेगा एवं विनियामक आयोग द्वारा अंतिम रूप से तथा अनुमोदित परिनियम प्रवृत्त होंगे।

२८. (१) इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों या परिनियमों के उपबंधों के अध्याधीन प्रथम अध्यादेश रहते हुए प्रथम अध्यादेश में निम्नलिखित समस्त विषयों या उनमें से किसी भी विषय के लिए उपबंध हो सकेंगे, अर्थात् :—

- (क) विनिर्दिष्ट प्रवर्गों के छात्रों हेतु विशेष रूप से विचार किए जाने का स्पष्टतः उल्लेख करते हुए निजी विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रवेश और उनका नामांकन;
- (ख) निजी विश्वविद्यालय की उपाधियों, उपाधि-पत्रों और प्रमाण-पत्रों के लिए विहित किए जाने वाले अध्ययन के पाठ्यक्रमों का व्यौरा;
- (ग) निजी विश्वविद्यालय की उपाधियों, उपाधि-पत्रों, प्रमाण-पत्रों तथा अन्य विद्या संबंधी सम्मान का प्रदान किया जाना, उनके लिये न्यूनतम अर्हताएं तथा उन्हें प्रदान करने एवं प्राप्त करने संबंधी अपनाने जाने वाले साधन;
- (घ) अध्येतावृत्तियों (फेलोशिप), छात्रवृत्ति, शिष्यवृत्ति, पदकों एवं पारितोषक प्रदान करने संबंधी शर्तें;
- (ङ) परीक्षाओं का संचालन करना जिनमें परीक्षा निकायों, परीक्षकों एवं मॉडरेटर्स की नियुक्ति की रीति तथा कर्तव्य सम्मिलित हैं;
- (च) निजी विश्वविद्यालय की उपाधियों एवं उपाधि-पत्रों के विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए प्रभाय परीक्षा फीस;
- (छ) निजी विश्वविद्यालय के छात्रों के आवास की शर्तें;
- (ज) छात्रों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही संबंधी उपबंध;
- (झ) किसी अन्य निकाय का सृजन, संरचना तथा उसके कृत्य जो निजी विश्वविद्यालय के शैक्षणिक वातावरण में सुधार हेतु आवश्यक समझे जाएं;
- (ञ) अन्य विश्वविद्यालयों तथा उच्चतर शिक्षा की संस्थाओं से सहयोग एवं सहभागिता की रीति; और
- (ट) ऐसे अन्य समस्त विषय जिनका इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए परिनियमों द्वारा, अध्यादेशों द्वारा उपबंधित किया जाना अपेक्षित हो;

(२) निजी विश्वविद्यालय का प्रथम अध्यादेश, कुलपति द्वारा बनाया जायेगा जिसे विनियामक आयोग को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

(३) विनियामक आयोग, उपधारा (२) के अधीन कुलपति द्वारा प्रस्तुत प्रथम अध्यादेशों पर उसकी प्राप्ति की तारीख से दो मास के भीतर विचार करेगा तथा उसे या तो अनुमोदित करेगा या उसके उपान्तरण के लिए सुझाव देगा।

(४) कुलपति, विनियामक आयोग द्वारा दिये गये सुझावों पर अपनी टिप्पणी देगा एवं प्रथम अध्यादेश आयोग को वापस करेगा तथा उसकी प्राप्ति पर आयोग या तो कुलपति को टिप्पणी को अनुमोदित करेगा या उसे अनुमोदित करेगा और उसके अन्तिम विनिरचय के आधार पर अध्यादेश, जैसा कि विनियामक आयोग द्वारा अनुमोदित किया गया है, प्रवृत्त हो जाएगा।

पश्चात्कर्त
अध्यादेश

३९. प्रथम अध्यादेश से भिन्न समस्त अध्यादेश, विद्यापरिषद् द्वारा प्रबंधन बोर्ड के अनुमोदन से बनाए जायेंगे :

परन्तु प्रथम अध्यादेश का संशोधन, विनियामक आयोग के अनुमोदन के पश्चात् किया जाएगा।

रिक्ति या निजी विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या निकाय की कार्यवाही को अविधिमाम्य नहीं बनाएंगी।

३०. निजी विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या निकाय द्वारा किया गया कोई कार्य या उसके द्वारा की गई कोई कार्यवाही केवल कोई रिक्ति होने के कारण या उसके गठन में किसी त्रुटि के कारण अविधिमाम्य नहीं होगी।

आपात रिक्तियों का भरा जाना।

३१. निजी विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों अथवा निकायों के सदस्यों में से किसी सदस्य की मृत्यु, पदत्याग अथवा हटाए जाने या जिस हैसियत में उसको नियुक्त या नामांकन हुआ था उसमें परिवर्तन होने के कारण उद्भूत रिक्तियों को उस व्यक्ति या निकाय द्वारा यथासंभव शीघ्र भरा जाएगा, जिसने ऐसे सदस्य को नियुक्त या नामनिर्दिष्ट किया था :

परन्तु आपात रिक्ति होने पर निजी विश्वविद्यालय के प्राधिकारी या निकाय के सदस्य के रूप में नियुक्त या नामनिर्दिष्ट किया गया व्यक्ति उस सदस्य की, जिसके स्थान पर वह नियुक्त किया गया है या नामनिर्दिष्ट किया गया है, केवल शेष पदावधि के लिए ऐसे प्राधिकारी या निकाय का सदस्य रहेगा।

समिति

३२. निजी विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों या अधिकारियों द्वारा ऐसे निर्देश निबंधन के साथ ऐसी समितियों का गठन किया जाएगा जैसा कि ऐसी समितियों द्वारा किए जाने वाले विशिष्ट कार्य के लिए आवश्यक हो, और ऐसी समितियों का गठन तथा उनके कर्तव्य ऐसे होंगे, जैसे कि परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं।

निजी विश्वविद्यालय के अभिलेख के सबूत की पद्धति

३३. निजी विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या समिति की किसी रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही या किसी संकल्प की या निजी विश्वविद्यालय के कब्जे में के अन्य दस्तावेज की कोई प्रति यदि कुलसचिव द्वारा प्रमाणित कर दी जाती है तो वह ऐसी रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही, संकल्प या दस्तावेज की प्रथमदृष्टया साक्ष्य या रजिस्टर में की प्रविष्टि की विद्यमानता माना जाएगी और किसी मामले या संव्यवहार में साक्ष्य के रूप में उसी प्रकार ग्राह्य होगी जैसी कि उसके मूल रूप में प्रस्तुत किये जाने पर ग्राह्य होती।

विनियम

३४. (१) इस अधिनियम के द्वारा या इसके अधीन गठित निजी विश्वविद्यालय के प्राधिकारी, इस अधिनियम के और निजी विश्वविद्यालय के परिनियमों तथा अध्यादेशों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए विनियम बना सकेंगे।

(२) प्रबंधन बोर्ड इस धारा के अधीन किसी प्राधिकारी द्वारा बनावे गए विनियमों को उपांतरित अथवा नाविल कर सकेगा।

परिनियम, अध्यादेश और विनियम का प्रवर्तन

३५. समस्त परिनियम, अध्यादेश एवं विनियम राजपत्र में उनके प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

अध्याय—चार

निजी विश्वविद्यालय का विनियमन

३६. (१) राज्य सरकार द्वारा, राज्य-स्तर पर विनियामक विरचना प्रदाय करने के प्रयोजन से तथा अध्यापन, परीक्षा, विनियामक आयोग, गवेषणा, विस्तार कार्यक्रम, छात्रों के हितों का संरक्षण तथा कर्मचारियों की युक्तियुक्त सेवा शर्तों को सुनिश्चित करने के प्रयोजन हेतु और राज्य सरकार तथा केन्द्रीय विनियामक निकायों के बीच पध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए, एक विनियामक आयोग की स्थापना की जाएगी.

(२) विनियामक आयोग, कुलाध्यक्ष के सामान्य नियंत्रण के अधीन कार्य करेगा.

(३) विनियामक आयोग में एक सभापति (चेयरमैन) और दो पूर्णकालिक सदस्य होंगे जिनमें से एक सदस्य "सदस्य-शैक्षणिक" और दूसरा सदस्य, "सदस्य-प्रशासनिक" होगा तथा दो से अधिक अंशकालिक सदस्य होंगे.

(४) विनियामक में आयोग एक पूर्णकालिक या अंशकालिक सचिव होगा.

(५) कुलाध्यक्ष द्वारा सभापति (चेयरमैन) की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा अनुशंसित पैनल में से की जायेगी, जिसमें ऐसे ख्यातिप्राप्त शिक्षाविद सम्मिलित होंगे, जिन्हें उच्चतर शिक्षा की संस्थाओं के कार्य का पूर्ण ज्ञान हो.

(६) सदस्य तथा सचिव की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा अनुशंसित पैनल में से कुलाध्यक्ष द्वारा की जायेगी, जिसमें शिक्षा, वित्त, विधि, प्रशासन और प्रबंधन के क्षेत्र के विख्यात व्यक्ति होंगे.

(७) सभापति (चेयरमैन) तथा सदस्य, इस अधिनियम के अधीन स्थापित किन्हीं निजी विश्वविद्यालयों से किसी तरह से संबद्ध नहीं होंगे.

(८) विनियामक आयोग का सभापति (चेयरमैन) तथा सदस्य उस तारीख, से जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है या उसके पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक, इनमें से जो पूर्वतः हो, क्रमशः तीन वर्ष तथा दो वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा और वह पैंसठ वर्ष की उच्चतर आयु सीमा के अध्याधीन रहते हुए पूर्वोक्त वर्षों की द्वितीय अवधि के लिए विचार किए जाने हेतु पात्र होगा :

परन्तु यथास्थिति, तीन वर्ष या दो वर्ष की उक्त कालावधि का अवसान होने पर भी वह उसके उत्तराधिकारी के नियुक्त होने और अपना पद ग्रहण करने तक पद पर बना रहेगा किन्तु ऐसी कालावधि छह मास से अधिक नहीं होगी :

परन्तु यह और कि अवधि के अवसान के पश्चात् विनियामक आयोग का सभापति (चेयरमैन) तथा सदस्य किसी भी रूप में या किसी भी नाम में, चाहे वह जो भी हो, किन्हीं आर्थिक फायदों और इस अधिनियम के अधीन स्थापित निजी विश्वविद्यालयों में से किसी विश्वविद्यालय में कोई कर्तव्यधार या नियोजन स्वीकार करने से प्रतिषिद्ध होगा.

(९) विनियामक आयोग के सभापति (चेयरमैन) तथा सदस्यों की सेवा के अन्य निबंधन तथा शर्तें, विनियामक आयोग के आदेशों तथा विनिर्देशों के अधिप्रमाणन की पद्धति और विनियामक आयोग द्वारा जारी की गई लिखित, विनियामक आयोग के बैठक की प्रक्रिया, विनियामक आयोग के कर्मचारियों की भर्ती तथा सेवा शर्तें, विशिष्ट प्रयोजन के लिए विनियामक आयोग के साथ व्यक्तियों का अस्थायी सहयोजन, विनियामक आयोग की निधि, उसका बजट, वार्षिक रिपोर्ट, लेखे, संपरीक्षा और ऐसे अन्य विषयों के संबंध में, जो विनियामक आयोग के उचित कार्यकरण के लिए अपेक्षित हो, राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में बनाए गए नियमों में उपबंध किया जाएगा.

(१०) विनियामक आयोग का यह सामान्य कर्तव्य होगा कि वह :-

(क) निजी विश्वविद्यालयों में अध्यापन, परीक्षा और गवेषणा का मानक बनाए रखने के लिये समस्त ऐसे कदम उठाए जिन्हें वह आवश्यक समझे;

- (ख) यह सुनिश्चित करे कि निजी विश्वविद्यालय केवल उतनी फीस और अन्य प्रभार संग्रहीत करे जो उनके द्वारा दी जाने वाली शिक्षा की लागत को पूरा कर सके और युक्तियुक्त अधिशेष राशि भी प्रदान करे जिसका उपयोग वे आस्तियों के संभारण और विस्तार करने में कर सकें;
- (ग) यह सुनिश्चित करे कि निजी विश्वविद्यालय के अध्यापकों के पास विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अन्य किसी विनियामक निकायों द्वारा विहित न्यूनतम अर्हताएं हों;
- (घ) यह सुनिश्चित करे कि निजी विश्वविद्यालय के कर्मचारिवृंद की नियुक्ति, परिनिर्वाह, अध्यादेशों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा अन्य संबंधित कानूनी निकायों द्वारा विहित मानदण्डों तथा मार्गदर्शन के अनुरूप की गई है;
- (ङ) यह सुनिश्चित करे कि निजी विश्वविद्यालय में नामांकित छात्रों का शोषण न हो और उनसे असम्यक् या अत्यधिक फीस संग्रहीत करने के लिये अनैतिक तरीके न अपनाए जाएं;
- (च) निजी विश्वविद्यालय के समापन से संबंधित तथा उसके अनुसरण में कार्यवाही जिसमें पाठ्यक्रम पूरा करने की व्यवस्था, परीक्षाओं का संचालन, उपाधि आदि देना सम्मिलित है, किसी अन्य राज्य विश्वविद्यालय को इस रीति में कार्य सौंपने की कार्यवाही करे जिससे छात्रों के हित प्रतिकूल रूप से प्रभावित न हों और निजी विश्वविद्यालय के समापन की प्रक्रिया के साथ छात्रों के लिए इन व्यवस्थाओं पर होने वाले व्यय को विन्यास निधि और/या सामान्य निधि से पूरा किया जाएगा।

(११) राज्य सरकार नीति विषयक प्रश्नों पर विनियामक आयोग को निर्देश जारी कर सकेगी जो बाध्यकारी होंगे।

वार्षिक रिपोर्ट

३७. (१) प्रबंधन बोर्ड द्वारा निजी विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जिसमें अन्य विषयों में निजी विश्वविद्यालय द्वारा उसके उद्देश्यों की पूर्ति हेतु उठाये गये कदम जिसका अनुमोदन शासी निकाय द्वारा किया जाएगा, सम्मिलित होंगे तथा इसकी एक प्रति प्रायोजी निकाय को प्रस्तुत की जाएगी।

(२) उपधारा (१) के अधीन तैयार की गई वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां कुलाध्यक्ष एवं विनियामक आयोग को भी प्रस्तुत की जाएगी।

वार्षिक लेखा एवं संपरीक्षा

३८. (१) निजी विश्वविद्यालय का वार्षिक लेखा जिसमें तुलनपत्र सम्मिलित है, प्रबंधन बोर्ड के निर्देशों के अधीन तैयार किया जाएगा और निजी विश्वविद्यालय द्वारा इस प्रयोजन हेतु नियुक्त लेखा संपरीक्षक द्वारा वर्ष में कम से कम एकबार वार्षिक लेखों की संपरीक्षा की जाएगी।

(२) संपरीक्षा रिपोर्ट के साथ वार्षिक लेखा की एक प्रति शासी निकाय को प्रस्तुत की जाएगी।

(३) वार्षिक लेखा और संपरीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति शासी निकाय की टोप सहित, यदि कोई हो, कुलाध्यक्ष को तथा विनियामक आयोग को प्रस्तुत की जाएगी।

(४) विनियामक आयोग वार्षिक रिपोर्ट तथा लेखा तथा संपरीक्षा रिपोर्ट का परीक्षण करेगा और निजी विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट तथा लेखा और संपरीक्षा रिपोर्ट से उद्भूत विषय पर विनियामक आयोग द्वारा दिए गये निर्देश, निजी विश्वविद्यालय पर आबद्ध कर होंगे।

नियतकालिक निरीक्षण

३९. (१) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, निजी विश्वविद्यालय का नियतकालिक निरीक्षण कर सकेगा तथा इस प्रयोजन के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, संबंधित निजी विश्वविद्यालय से समस्त सुसंगत जानकारीयां मांग सकेगा, जैसा कि समय-समय पर यथा संशोधित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों की विवरणी तथा जानकारी) नियम, १९७९ में उपबंधित है।

(२) निजी विश्वविद्यालय, जो स्नातक उपाधि, स्नातकोत्तर उपाधि और/या उपाधिपत्र पाठ्यक्रम प्रदान करता हो, के निरीक्षण एवं मूल्यांकन के पश्चात् विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, निजी विश्वविद्यालय की कोई न्यूनता या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सुसंगत विनियमों से कोई असमानता पाता है तो उसे ठोक करने के लिए उचित अवसर प्रदान करेगा तथा यदि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का समाधान हो जाता है कि निजी विश्वविद्यालय ऐसा अवसर प्राप्त होने के पश्चात् विनियमों में से किसी उपबंध का पालन करने में असफल रहता है तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, निजी विश्वविद्यालय को यथास्थिति, स्नातक उपाधि, स्नातकोत्तर उपाधि और/या उपाधि पत्र के लिए पाठ्यक्रम को प्रस्तावित करने से प्रतिबंधित करने का आदेश उस समय तक दे सकेगा, जब तक कि न्यूनता को ठोक न कर दिया जाए,

(३) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, निजी विश्वविद्यालय के विरुद्ध ऐसी स्नातक उपाधि, स्नातकोत्तर उपाधि, उपाधि-पत्र देने के लिए कार्यवाई कर सकता है जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट नहीं है, तथा अधिसूचना द्वारा जन सामान्य को सूचित करेगा और ऐसे कार्यक्रम जारी रखने और अविनिर्दिष्ट उपाधियाँ प्रदान करने वाला निजी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, १९५६ (१९५६ का ३) की धारा २४ के अधीन शास्ति का दायी होगा।

अध्याय—पाँच

निजी विश्वविद्यालय का परिसमापन

४०. (१) यदि प्रायोजी निकाय स्वयं को विघटित करने का प्रस्ताव करता है या इस अधिनियम के अधीन स्थापित निजी विश्वविद्यालय के कृत्यों को बन्द करना चाहता है तो उसकी योजना की, जिसके द्वारा पाठ्यक्रमों का पूर्ण होना तथा परीक्षाओं का संचालन सुनिश्चित किया जाए, सूचना, विनियामक आयोग को देगा और उस सम्भावी तारीख को घोषणा करेगा जिससे किसी नए छात्र को प्रवेश नहीं दिया जाएगा,

प्रायोजी निकाय का विघटन होने पर निजी विश्वविद्यालय का प्रबंधन,

(२) ऐसी सूचना प्राप्त होते पर विनियामक आयोग को यह अधिकार होगा कि वह प्रायोजी निकाय को उपधारा (१) के अधीन दायित्वों को पूरा करने के लिए ऐसे निदेश दे, जो वह आवश्यक समझे और यदि प्रायोजी निकाय उपधारा (१) के अधीन उपबंधों का उल्लंघन करता है, तो विनियामक आयोग द्वारा विन्यास निधि को समपहत किया जाएगा और निजी विश्वविद्यालयों के छात्रों का पाठ्यक्रम पूरा करने, परीक्षा संचालन, उपाधि देने आदि के संबंध में या तो स्वयं कार्य करने या यह कार्य किसी अन्य विश्वविद्यालय को सौंपने संबंधी व्यवस्था इस रीति में करेगा कि छात्रों के हित प्रतिकूल रूप से प्रभावित न हों, छात्रों को दी गई इन व्यवस्थाओं पर जो व्यय होगा, उसे निजी विश्वविद्यालय की विन्यास निधि और/या सामान्य निधि से पूरा किया जाएगा,

४१. (१) विनियामक आयोग की रिपोर्ट पर या अन्यथा यदि राज्य सरकार को यह प्रतीत हो कि निजी विश्वविद्यालय में वित्तीय कुप्रबंध तथा कुशासन की स्थिति उद्भूत हो गई है तो वह निजी विश्वविद्यालय से पैंतालीस दिन के भीतर कारण दर्शाने की अपेक्षा करते हुए सूचना जारी करेगा कि:—

कतिपय परिस्थितियों में राज्य सरकार की विशेष शक्तियाँ,

(क) उसके परिसमापन का आदेश क्यों न किया जाए?

(ख) उपधारा (७) के अंतर्गत प्रबंधन बोर्ड को क्यों न निलंबित कर दिया जाए तथा प्रशासक नियुक्त कर दिया जाए?

(२) यदि राज्य सरकार यह आवश्यक समझती है कि प्रबंधन बोर्ड को निलंबित कर दिया जाए तो वह राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा प्रबंधन बोर्ड के निलंबन का आदेश करेगी और प्रायोजी निकाय के परामर्श से निजी विश्वविद्यालय के कार्यों के प्रशासन हेतु ऐसी व्यवस्था करेगी जैसी कि वह आवश्यक समझे।

(३) यदि राज्य सरकार का, उपधारा (१) के अधीन जारी की गई सूचना के बारे में निजी विश्वविद्यालय का उत्तर प्राप्त कर लेने पर, यह समाधान हो जाता है कि प्रथमदृष्ट्या प्रकरण वित्तीय कुप्रबंध, कुशासन या इस अधिनियम के उपबंधों या उसके अधीन जारी किए गए निर्देशों के उल्लंघन का है, तो वह ऐसी जांच के आदेश देगी, जो वह आवश्यक समझे।

(४) राज्य सरकार, उपधारा (३) के अधीन जांच के प्रयोजन के लिए, आरोपों में से किसी भी आरोप की जांच करने और उस पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कोई अधिकारी अथवा प्राधिकारी, नियुक्त करेगी।

(५) उपधारा (४) के अधीन नियुक्त जांच प्राधिकारी को वही शक्तियां होंगी जो कि सिविल प्रक्रिया संहिता, १९०८ (१९०८ का सं. ५) के अधीन निम्नलिखित विषयों के संबंध में किसी वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय में विहित हैं, अर्थात् :—

- (क) समन जारी करने तथा किसी व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए बाध्य करना तथा उसका परीक्षण करना;
- (ख) किसी ऐसे दस्तावेज अथवा अन्य अपेक्षित सामग्री का प्रकटीकरण तथा उसका प्रस्तुत किया जाना;
- (ग) किसी न्यायालय या कार्यालय से सार्वजनिक अभिलेख मंगवाया जाना;
- (घ) कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाए।

(६) इस अधिनियम के अधीन जांच कर रहे प्रत्येक जांच प्राधिकारी को दण्ड प्रक्रिया संहिता, १९७३ (१९७४ का सं. २) की धारा १९५ तथा अध्याय सोलह के प्रयोजन हेतु सिविल न्यायालय माना जाएगा।

(७) जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि वित्तीय कुप्रबंधन और कुप्रशासन के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि निजी विश्वविद्यालय की वित्तीय स्थिरता या प्रशासन असुरक्षित हो गया है तो वह राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा, निजी विश्वविद्यालय के समापन का आदेश देगी अथवा प्रशासक की नियुक्ति करके, जिसमें शासी निकाय की शक्तियां होंगी, निजी विश्वविद्यालय को चालू रखवाएगी।

परन्तु समापन का कोई आदेश तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक अधिनियम की अनुसूची से ऐसे निजी विश्वविद्यालय से संबंधित प्रतिष्ठि को हटा न दिया जाये।

(८) उपधारा (७) के अधीन समापन की अधिसूचना जारी करने के समय राज्य सरकार, वर्तमान पाठ्यक्रम को समाप्ति तक निजी विश्वविद्यालय के कार्य प्रशासन हेतु व्यवस्था करेगी।

(९) उपधारा (८) के अधीन निजी विश्वविद्यालय के प्रबंध की कालावधि के दौरान राज्य सरकार, निजी विश्वविद्यालय के पास उपलब्ध निधि का उपयोग करेगी और अधिशेष, यदि कोई हो, समपद्धत किया जायेगा।

(१०) जांच की प्रक्रिया में और छात्रों के प्रवेश पूर्ण होने तक उपगत समस्त व्यय की पूर्ति निजी विश्वविद्यालय को वित्तीय निधि और सामान्य निधि से की जाएगी।

अध्याय—छह

प्रकीर्ण

नियम बनाने की शक्ति

४२. (१) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी,

(२) पूर्वगामी शक्तियों को व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इन नियमों में निम्नलिखित समस्त मामलों के या किसी मामले के बारे में उपबोध किया जा सकेगा, अर्थात् :—

- (क) निजी विश्वविद्यालय की स्थापना संबंधी प्रस्ताव की रीति तथा धारा ४ की उपधारा (१) के अंतर्गत देय फीस;

- (ख) धारा ४ की उपधारा (२) के अधीन परियोजना रिपोर्ट में निहित किए जाने वाले अन्य ब्यौरे;
- (ग) धारा ११ की उपधारा (३) के अधीन विन्यास निधि की स्थापना, निवेश, की रीति उससे होने वाली आय का प्रायोजी निकाय को भुगतान, उसके समपहरण तथा प्रायोजी निकाय को वापस करने की पद्धति;
- (घ) धारा १२ के परन्तुक अधीन निजी विश्वविद्यालय से फीस का संग्रहण और इस प्रकार संग्रहीत राशि को संचित निधि में जमा करने की पद्धति;
- (ङ) धारा २५ की उपधारा (१) के अधीन अन्य विषय, जिनका उपबंध परिनियमों द्वारा किया जाना है;
- (च) विनियामक आयोग के आदेशों तथा विनिश्चयों और विनियामक आयोग द्वारा जारी की गई लिखितों के अधिप्रमाणिकरण की पद्धति, सभापति (चेयरमैन) तथा सदस्यों की सेवा के निबंधन तथा शर्तें, विनियामक आयोग की बैठक की प्रक्रिया, विनियामक आयोग के कर्मचारिवृन्द और उनकी सेवा शर्तों का उपबंध, विनियामक आयोग के साथ व्यक्तियों का अस्थायी सहयोजन, उसका बजट, वार्षिक रिपोर्ट, लेखे तथा संपरीक्षा और ऐसे अन्य मामले जो धारा ३६ की उपधारा (९) के अधीन विनियामक आयोग के समुचित कार्यकरण के लिए आवश्यक हों;
- (छ) अन्य मामले जिनका इस अधिनियम के अधीन नियमों द्वारा विहित किया जाना अपेक्षित हो।

(३) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए समस्त नियम विधान सभा के पटल पर रखे जाएंगे।

४३. यदि इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने में कोई कठिनाई उद्भूत होती है तो राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो, कठिनाई दूर कर सकेगी; कठिनाई दूर करने की शक्ति।

परन्तु ऐसा कोई आदेश, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से दो वर्ष की कालावधि के अवसान के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

अनुसूची

[धारा १ (१) देखिए]

अनु. क्रमांक (१)	निजी विश्वविद्यालय का नाम (२)	प्रायोजी निकाय का नाम (३)	प्रायोजी निकाय की स्थापना की पद्धति (४)	मुख्य परिसर (५)	अधिकारिता (६)

भोपाल, दिनांक 25 मई 2007

क्र. 3243-199-इक्कीस-अ-(प्र).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) अनुसार में, मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2007 (क्रमांक 17 सन् 2007) का अंग्रेजी अनुवाद, राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा, प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अखिल कुमार श्रीवास्तव, सचिव।

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
प. प्र.-108-भोपाल-06-08.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 207]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 23 अप्रैल 2008—वैशाख 3, शक 1930

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 23 अप्रैल 2008

क्र. 2611-120-इकोस-अ-(प्र.)—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 21 अप्रैल, 2008 को महानहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अखिल कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक ७ सन् २००८.

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन अधिनियम, २००८.

दिनांक २१ अप्रैल, २००८ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक २१ अप्रैल, २००८ को प्रथम बार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना और संचालन) अधिनियम, २००७ को संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के उनसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन अधिनियम, २००८ है.

धारा १९ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, २००७ (क्रमांक १७ सन् २००७) को धारा ३६ की उपधारा (८) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात् :-

"(८) विनियामक आयोग का सभापति (चेयरमैन) तथा सदस्य उस तारीख से, जिसको वह अपने पद ग्रहण करता है, पांच वर्ष की अवधि के लिए या उसके पचहत्तर वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक, इनमें से जो पूर्वतर हो, पद धारण करेगा, और वह पचहत्तर वर्ष की उच्चतर आयु सीमा के अधीन रहते हुए पूर्वोक्त वर्षों की द्वितीय अवधि के लिए विचार किए जाने हेतु पात्र होगा :

परन्तु पांच वर्षों की उक्त कालावधि का अवसान होने पर भी वह उसके उत्तराधिकारी के निवृत्त होने और उसके पद ग्रहण करने तक पद पर बना रहेगा किन्तु ऐसी कालावधि छह मास से अधिक नहीं होगी:

परन्तु यह और कि अवधि के अवसान के पश्चात्, विनियामक आयोग का सभापति (चेयरमैन) तथा सदस्य किसी भी रूप में या किसी भी नाम में, चाहे वह जो भी हो, किन्हीं आर्थिक फायदों और इस अधिनियम के अधीन निजी विश्वविद्यालयों में से किसी विश्वविद्यालय में कोई नियोजन (असाइनमेंट) या सेवायोजन स्वीकार करने से प्रतिबिद्ध होगा."

श्रीपाल, दिनांक २३ अप्रैल २००८

क्र. २६१२-१२०-इक्कीस-अ(प्र).—भारत के संविधान के अनुच्छेद ३४८ के खण्ड (३) के अनुसरण में, "मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन अधिनियम, २००८ (क्रमांक ७ सन् २००८)" का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अखिल कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No. 17 of 2007

THE MADHYA PRADESH NIJI VISHWAVIDYALAY
(STHAPANA AVAM SANCHALAN) ADHINIYAM, 2007.

TABLE OF CONTENTS

CHAPTER I—PRELIMINARY

Sections :

1. Short title, extent and commencement.
2. Definitions.

CHAPTER II—ESTABLISHMENT OF PRIVATE UNIVERSITY

3. Objects of private university.
4. Submission of proposal for establishment of a private university.
5. Evaluation of proposal.
6. Issuing letter of intent.
7. Conditions for establishing private university.
8. Submission of compliance report, verification and inspection.
9. Establishment and incorporation.

CHAPTER III—OPERATION AND MANAGEMENT OF PRIVATE UNIVERSITY

10. Incentives to private university.
11. Endowment fund.
12. General fund.
13. Application of general fund.
14. Officers of private university.
15. Visitor.
16. Chancellor.
17. Vice-Chancellor.
18. Registrar.
19. Chief Finance and Accounts Officer.
20. Other officers.
21. Authorities of private university.
22. Governing body.
23. Board of Management.
24. Academic Council.
25. Other authorities.
26. First Statutes.
27. Subsequent Statutes.
28. First Ordinances.
29. Subsequent Ordinances.
30. Vacancies not to invalidate the proceedings of any authority or body of private university.
31. Filling up of emergent vacancies.
32. Committees.
33. Mode of proof of private university record.
34. Regulations.
35. Enforcement of Statutes, Ordinances and regulations.

CHAPTER IV—REGULATION OF PRIVATE UNIVERSITY

36. Regulatory Commission.
37. Annual report.

38. Annual accounts and audit.
39. Periodic inspection.

CHAPTER V—WINDING OF PRIVATE UNIVERSITY

40. Management of private university on dissolution of sponsoring body.
41. Special power of State Government in certain circumstances.

CHAPTER VI—MISCELLANEOUS

42. Power to make rules.
43. Power to remove difficulties.

THE SCHEDULE

MADHYA PRADESH ACT, No. 17 OF 2007

THE MADHYA PRADESH NJI VISHWAVIDYALAY (STHAPANA AVAM SANCHALAN) ADHINIYAM, 2007.

[Received the assent of the Governor on the 24th May, 2007; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)" dated the 25th May, 2007.]

An Act to provide for establishment and incorporation of selffinanced private universities in the State of Madhya Pradesh for imparting higher education, and to regulate their functions and for matters connected therewith or incidental thereto.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the fifty-eighth year of the Republic of India as follows:—

CHAPTER I—PRELIMINARY

1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Nji Vishwavidyalaya (Sthapana Avam Sanchalan) Adhiniyam, 2007. Short title, extent and commencement.

(2) It extends to whole of Madhya Pradesh.

(3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification, appoint.

2. In this Act unless the context otherwise requires,— Definitions.

- (a) "Academic Council" means the Academic Council of the private university;
- (b) "Below poverty line family" means a family whose income is below the poverty line as specified by the Government from time to time;
- (c) "Board of Management" means the Board of Management of the private university;
- (d) "Chancellor" means the Chancellor of the private university;
- (e) "Chief Finance and Accounts Officer" means the Chief Finance and Accounts Officer of the private university;
- (f) "Department" means a Department of Studies and includes a Centre of Studies of the private university;
- (g) "Employee" means any person appointed by the private university and includes teachers and other staff of the private university;

- (h) "Endowment Fund" means the endowment fund of the private university;
- (i) "Fee" means the collection made by the private university from the students, by whatever name it may be called;
- (j) "Governing body" means the governing body of the private university;
- (k) "Higher Education" means study of curriculum or course for of knowledge beyond 10+2 level;
- (l) "Main Campus" means the main campus of the private university situated in Madhya Pradesh, consisting of minimum five university teaching departments, schools of studies and where the Vice-Chancellor and Registrar resides and also where the main office of the private university is located;
- (m) "National Council of Assessment and Accreditation" means, the National Council of Assessment and Accreditation, Bangalore, an autonomous institution of the University Grants Commission;
- (n) "Ordinances" means the Ordinances of the private university;
- (o) "Other Backward Classes" means the Other Backward Classes of citizens as specified by the State Government *vide* notification No. F. 85-XXV-4-84, dated the 26th December, 1984 as amended from time to time;
- (p) "Private University" means a private university established and incorporated under this Act;
- (q) "Qualification" means a degree or any other qualification awarded by the private university;
- (r) "Registrar" means the Registrar of the private university;
- (s) "Regulations" means the regulations made under the provisions of this Act;
- (t) "Regulatory Body" means a Central or a State regulatory body established by the Central or State Government for laying down norms and conditions for ensuring standards of higher education;
- (u) "Regulatory Commission" means the Regulatory Commission established under Section 36;
- (v) "Regulatory Council" means the All India Council for Technical Education established under the All India Council for Technical Education Act, 1987(52 of 1987), the Bar Council of India constituted under Section 4 of the Advocates Act, 1961 (25 of 1961), the Council of Architects established under the Architects Act, 1972 (20 of 1972), the Medical Council of India constituted under the Indian Medical Council Act, 1956 (2 of 1956), the Paramedical Council of Madhya Pradesh established under the Madhya Pradesh Sah Chikitsiy Parishad Adhiniyam, 2000 (No.1 of 2001) or the Pharmacy Council of India constituted under the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948), as the case may be;
- (w) "Schedule" means the Schedule to this Act;
- (x) "Scheduled Castes" means the Scheduled Castes notified under article 341 of the Constitution of India;
- (y) "Scheduled Tribes" means the Scheduled Tribes notified under article 342 of the Constitution of India;
- (z) "School of Studies" means an institution maintained by private university as a place of higher learning and research;
- (za) "Sponsoring Body" in relation to a private university means—
 - (a) a society registered under the Madhya Pradesh Society Registrickaran Adhiniyam, 1973 (No. 44 of 1973);
 - (b) any registered public trust;
 - (c) a company registered under Section 25 of the Companies Act, 1956 (No. 1 of 1956); and
 - (d) any other body registered under any other Act for the time being in force;
- (zb) "Statutes" means the Statutes made under the provisions of this Act;
- (zc) "Student" means a person enrolled in the private university for pursuing a course of study for the award of a degree, diploma, certificate or other academic distinction;

- (zd) "Teacher" means a professor, reader, lecturer or a person known by any other designation who is required to impart education or to guide research or to render guidance to the students for pursuing a course of study of the private university;
- (ze) "University" means a University established or incorporated by or under a Central Act or a State Act and includes any such institution as may be recognised as University by the University Grants Commission;
- (zf) "University Grants Commission" means the University Grants Commission established under the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956);
- (zg) "University Grants Commission Regulations, 2003" means the University Grants Commission (Establishment of and Maintenance of Standards in Private Universities) Regulations, 2003 made under the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956);
- (zh) "Vice-Chancellor" means the Vice-Chancellor of the private university;
- (zi) "Visitor" means the Visitor of the private university.

CHAPTER II—ESTABLISHMENT OF PRIVATE UNIVERSITY

3. The following shall be the general objects of the private university:—

Objects of private university.

- (a) to provide instructions, teaching and training in higher education and to make provisions for research, advancement and dissemination of knowledge;
- (b) to create higher levels of intellectual abilities;
- (c) to establish state of the art facilities for education and training;
- (d) to carry out teaching and research and offer continuing education programmes;
- (e) to create centres of excellence for research and development and for sharing knowledge and its application;
- (f) to maintain the standards of degrees, diplomas, certificates and other academic distinctions in accordance with the norms laid down by the University Grants Commission and the related regulatory body or regulatory council;
- (g) to pursue any other objective as may be approved by the State Government based on the recommendations of the Regulatory Commission from time to time.

4. (1) An application containing the proposal and the project report to establish a private university for carrying out the objectives enumerated in Section 3 shall be made by the sponsoring body to the Regulatory Commission along with such fee and in such form as may be prescribed.

Submission of proposal for establishment of a private university.

(2) The project report shall contain the following particulars, namely :—

- (a) the details of the sponsoring body along with the copies of its registration certificate, constitution and bye-laws;
- (b) the information regarding financial resources of the sponsoring body along with audited accounts for the previous five years;
- (c) the location of the main campus of the proposed private university;
- (d) the objective of the private university;
- (e) availability of land, and details of building and infrastructure facilities;
- (f) the details of plans for campus development such as construction of buildings, development of structural amenities and infrastructure facilities and procurement of equipment etc. to be undertaken before the private university starts functioning and the phase-wise programme for five years;
- (g) phased outlays of capital expenditure proposed for five years and its sources of finance;
- (h) the nature and the number of faculties such as Science, Arts, Commerce, Technology, Education etc. types of programmes (under graduate or post graduate) of study and research proposed to be undertaken by the private university in each faculty and phasing of such programme for five year with course wise enrollment targets;

- (i) the experience and expertise in the concerned discipline at the command of the sponsoring body;
- (j) availabilities of academic facilities such as teaching staff, technical or non-technical staff, equipments etc., required for the courses of study and research;
- (k) the estimated recurring expenditure course wise or activity wise, sources of finance and estimated expenditure per student;
- (l) the scheme for mobilizing resources and the cost of capital thereto and the manner of repayment to such sources;
- (m) the scheme for generation of funds internally through the recovery of fee from students, revenues anticipated from other activities relating to the objects of the private university and other anticipated income;
- (n) the proposed fee structure for the different courses with reference to the detail of expenditure on unit cost and the extent of concessions or rebates in fee or free-ships and scholarships, if any, for the students belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and below poverty line families;
- (o) the system proposed to be followed for selection of students for admission to the courses of study in the private university;
- (p) the system proposed to be followed for appointment of teachers and other employees in the private university.

Evaluation of proposal.

5. (1) The Regulatory Commission shall, on receipt of the proposal and the project report for establishment of a private university, make such scrutiny within 60 days from the receipt of proposal as to the facts stated in the project report, as it may deem necessary.

(2) The Regulatory Commission in course of scrutiny may ask for any additional information from the sponsoring body and after receipt of such information, the Regulatory Commission shall evaluate the project proposal within 90 days.

Issuing letter of intent.

6. (1) After inquiry and evaluation as provided in Section 5, if the Regulatory Commission is of the opinion that an opportunity to establish a private university be given to the sponsoring body, it shall make its recommendation to the State Government to issue a letter of intent to the sponsoring body in this regard.

(2) After receiving the recommendation from the Regulatory Commission, the State Government may issue letter of intent to the sponsoring body with regard to establishment of private university in the State.

Conditions for establishing private university.

7. The letter of intent as provided in sub-section (2) of Section 6, shall contain the following conditions, which the sponsoring body will be required to fulfil for establishing a private university in the State, namely:—

- (i) it shall establish—
 - (a) main campus;
 - (b) an endowment fund in accordance with the provision of Section 11;
- (ii) it shall procure a minimum 20 hectares of land for the main campus to be established, and submit its ownership papers;
- (iii) it shall make available a minimum builtup area of 25,00 square metres in the form of buildings, and ancillary structures for administrative purposes and for conducting the academic programmes;
- (iv) it shall give an undertaking to the following effect—
 - (a) that the private university shall be unitary and selffinancing;
 - (b) that the land and buildings of the private university shall be used for the purposes of the private university only;
 - (c) that it shall appoint, immediately after incorporation of the private university, and before starting of the classes, adequate number of faculty members along with necessary supporting staff in each department or discipline;

- (d) that it shall take up co-curricular activities to foster a proper academic and healthy environment such as seminars, debates, quiz programmes and extracurricular activities like games, sports, National Service Scheme, National Cadet Corps etc, for the benefit of students as per the norms laid down by the regulatory bodies;
- (e) that it shall establish welfare programmes for the employees of the private university;
- (f) that it shall fulfil such other conditions and provide such other information as may be prescribed by the central regulatory bodies from time to time;
- (g) that it shall fulfil the minimum criteria in terms of programme, faculty, infrastructure facilities, financial viability etc, laid down from time to time by the regulatory bodies;
- (h) that it shall frame the programme or study leading to graduate and postgraduate degree or diploma which shall conform to the relevant regulations and norms of the University Grants Commission or the concerned statutory bodies;
- (i) that it shall determine the admission procedure and fixation of fees in accordance with the norms or guidelines of the regulatory bodies;
- (j) it shall compulsorily be assessed and accredited by the National Council of Assessment and Accreditation;
- (k) that the teaching staff of the private university shall have minimum qualification prescribed by the University Grants Commission or other concerned regulatory bodies and appropriate emoluments shall be paid to them;
- (l) that the private university shall be open to all persons of either gender, and it shall not discriminate on grounds of caste, creed, religion, race and it shall not be lawful for the private university to adopt or impose on any person any test whatsoever of religious belief in order to entitle him to be appointed as a teacher of the private university or to hold any other office therein or be admitted as a student in the private university or to enjoy or exercises any privilege thereof;
- (m) that the admissions and conduct of classes shall not be started till concerned Statutes and Ordinances are approved as per provisions of the Act.

8. (1) The sponsoring body shall submit the compliance report and an undertaking along with the relevant documents to the Regulatory Commission.

Submission of compliance report, verification and inspection.

(2) After receiving the compliance report from the sponsoring body, the Regulatory Commission shall examine the same and factual data in the manner it may deem fit.

(3) If the Regulatory Commission, after examination of the compliance report and the undertaking as mentioned under sub-section (2), finds any shortcomings in the same, it may direct the sponsoring body to remove the identified shortcomings at the earliest.

(4) The Regulatory Commission, on being satisfied that the identified short comings, as mentioned in sub-section (3), have been removed it shall send its report regarding status of the proposal for establishment of the private university to the State Government regarding removal of the identified short comings.

(5) The State Government, may after the receipt of the report from the Regulatory Commission mentioned in sub-section (4), ask the University Grants Commission for inspection of the proposed private university, and the University Grants Commission shall submit the report within a maximum period of three months, or else the State Government may take such decision as it may deem fit.

(6) If the sponsoring body fails to comply with the conditions laid down in Section 7 within the stipulated time, the project proposal submitted under sub section (1) of Section 4 shall be annulled and letter of intent issued under sub-section (2) of Section 6 shall be cancelled.

Establishment
and incorpora-
tion

9. (1) The State Government, if satisfied, after considering the report submitted by the Regulatory Commission under Section 8 and inspection report of the University Grants Commission, if any, that the sponsoring body has complied with the provisions of Section 7 and a private university may be established on the basis of its proposal, shall establish, by amending the Schedule, a private university with such specific name and description as specified in this behalf in the Schedule.

(2) Such a private university shall be deemed to have been incorporated from the date of the amendment of the Schedule.

(3) The private university shall be a body corporate by such name as shown in the Schedule having perpetual succession and common seal with powers, subject to the provisions of this Act, to acquire and own property, to contract, and shall sue and be sued by the said name.

(4) In all the suits and other legal proceedings by or against such private university, the pleadings shall be signed and verified by the Registrar and all processes in such suits and proceedings shall be issued to and be served on the Registrar.

(5) The main campus of the private university shall be at such place as shown in column (5) of the Schedule.

CHAPTER III—OPERATION AND MANAGEMENT OF PRIVATE UNIVERSITY

Incentives to pri-
vate university.

10. Notwithstanding the provisions of sub-clause (a) of clause (iv) of Section 7, the Government may provide financial or other incentives to the private university for reasons to be recorded in writing.

Endowment fund.

11. (1) On receipt of the letter of intent from the State Government as provided under sub-section (2) of Section 6, a sponsoring body, willing to fulfil the conditions and give undertaking as mentioned in the letter of intent, shall establish an endowment fund of five crore rupees within fifteen days as a perpetual deposit in any bank specified in the First Schedule to the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970). as a corresponding new bank.

(2) The endowment fund shall be used as security deposit to ensure that the private university complies with the provisions of the Act, Statutes and Ordinances, and the State Government may forfeit, after giving notice, whole or part of endowment fund on the recommendation of the Regulatory Commission, in case of breach or contravention of any provision of this Act, Statute, Ordinance or regulation by the sponsoring body.

(3) Income from the endowment fund may be utilized for development of infrastructure of the private university, but shall not be utilized for recurring expenditure of the private university.

(4) The mode of establishment of endowment fund, the manner of its investment, the payment of income from it to the sponsoring body, its forfeiture and mode of its return to the sponsoring body shall be such as may be prescribed.

General fund.

12. Every private university shall establish a fund, which shall be called the general fund to which the following shall be credited, namely:—

- (a) fees and other charges received by the private university;
- (b) any contribution made by the sponsoring body;

- (c) trusts, bequeaths, donations, endowment and any other grants; and
- (d) all other sums received by the private university.

Provided that one percent of the fees collected from the students under clause (a), shall be deposited with the Regulatory Commission in such manner as may be prescribed.

13. The general fund shall be utilized for the following purposes, namely :—

Application of
general fund.

- (a) repayment of debts including interest charged thereto incurred by the private university for the purposes of this Act and the Statutes, Ordinances and regulations made thereunder;
- (b) upkeep of the assets of the private university;
- (c) payment of the cost of audit of the funds created under Sections 11 and 12;
- (d) meeting the expenses of any suit or proceedings in the court to which private university is a party;
- (e) payment of salaries, allowances, provident fund contributions, gratuity and other benefits to officers and employees and members of the teaching and research staff;
- (f) payment of travelling and other allowances to the members of the governing body, the Board of Management, the Academic Council and other authorities so declared under the Statutes of the private university and to the member of any committee appointed by any of the authorities or by the Chairperson of the sponsoring body or the Vice-Chancellor, in pursuance of any provision of the Act, and Statutes, Ordinances or regulations made thereunder;
- (g) payment of fellowships, free-ships, scholarships, assistantships and other awards to the students belonging to below poverty line families or research associates or trainee, as the case may be, or to any students otherwise eligible for such awards under the provisions of this Act and Statutes, Ordinances, regulation or rules made thereunder;
- (h) payment of any expenses incurred by the private university in carrying out the provisions of this Act and the Statutes, Ordinances or the regulations made thereunder;
- (i) payment of cost of capital not exceeding the applicable bank rates of interest, incurred by the sponsoring body for setting up the private university and the investments made therefor;
- (j) payment of any other expenses including service fee payable to any organization charged with the responsibility of providing any specific service, including the managerial services to the private university on behalf of the sponsoring body as approved by the Board of Management to be an expense for the purposes of the private university.

Provided that no expenditure shall be incurred by the private university in excess of the limit for total recurring expenditure and total non-recurring expenditure for the year as fixed by the Board of Management, without the prior approval of the Board of management.

Provided further that the general fund shall not be utilized for the objects specified under clause (a) without the prior approval of the governing body of the private university.

14. The following shall be the officers of the private university, namely:—

Officers of pri-
vate university.

- (a) the Visitor;
- (b) the Chancellor;
- (c) the Vice-Chancellor;

- (d) the Registrar;
- (e) the Chief Finance and Accounts Officer; and
- (f) such other officers as may be declared by the Statutes to be the officers of the private university.

Visitor.

15. (1) The Governor of Madhya Pradesh shall be the Visitor of the private university.

(2) The Visitor shall when present, preside at the convocation of the private university for conferring degrees and diplomas.

(3) The Visitor shall have the following powers, namely:—

- (a) to call for any information or record relating to the affairs of the private university;
- (b) if it appears on the basis of the information that any order, proceeding or decision taken by any authority of the private university is not in conformity with the provisions of this Act and Statutes, Ordinances or regulations made thereunder, the Visitor may ask for the opinion of the Regulatory Commission and on being satisfied that any irregularity has taken place, he may issue such direction as he may deem fit in the interest of the private university and the directions so issued shall be complied with by the private university.

Chancellor.

16. (1) The Chancellor shall be appointed by the sponsoring body with the approval of the Visitor.

(2) The Chancellor shall be the head of the private university

(3) The Chancellor shall preside over the meeting of the governing body and shall, when the Visitor is not present, preside over the convocation of the private university for conferring degrees, diplomas or other academic distinctions.

(4) The Chancellor shall have the following powers, namely:—

- (a) to appoint and remove the Vice-Chancellor;
- (b) to call for any information or record;
- (c) such other powers as may be conferred by the Statutes.

Vice-Chancellor.

17. (1) The Vice-Chancellor shall be appointed by the Chancellor from the panel recommended by the selection committee constituted for the purpose.

(2) The selection committee, referred to in sub-section (1), shall consist of the following members, namely:—

- (i) two eminent academicians nominated by the sponsoring body; and
- (ii) one eminent person nominated by the State Government.

(3) The Chancellor shall appoint one of the members of the selection committee as Chairman.

(4) The selection committee shall submit a panel of at least three eminent persons for the appointment of Vice-Chancellor.

Provided that if the Chancellor does not approve the recommendation of the selection committee, he may call for fresh recommendation from the selection committee.

(5) Notwithstanding anything contained in the foregoing sub-section, the Chancellor may appoint the first Vice-Chancellor for a period of two years to conduct the affairs of the private university.

(6) The Vice-Chancellor shall, subject to the provision contained in sub-section (1), hold office for a term of four years:

Provided that a Vice-Chancellor shall continue to hold the office even after expiry of his term till a new Vice-Chancellor joins, however in any case this period shall not exceed 6 months.

(7) The Vice-Chancellor shall be the principal executive and academic officer of the private university and shall exercise general superintendence and control over the affairs of the private university and shall execute the decisions of various authorities of the private university.

(8) The Vice-Chancellor shall preside at the convocation of the private university in the absence of the Visitor and the Chancellor.

(9) If in the opinion of the Vice-Chancellor it is necessary to take immediate action on any matter for which powers are conferred on any other authority by or under this Act, he may take such action as he deems necessary, and shall at the earliest opportunity thereafter report his action to such officer or authority as would have in the ordinary course dealt with the matter:

Provided that if in the opinion of the concerned officer or authority such action should not have been taken by the Vice-Chancellor, then such case shall be referred to the Chancellor, whose decision thereon shall be final:

Provided further that where any such action taken by the Vice-Chancellor affect any person in the service of the private university, such person shall be entitled to prefer, within three months from the date on which such action communicated to him, an appeal to the governing body and the decision of the governing body shall be communicated to the person concerned within three month from the date of appeal.

(10) If in the opinion of the Vice-Chancellor, the decision of any authority of the private university is not in conformity with the power conferred by this Act and Statutes, Ordinances or Regulations made thereunder or is likely to be prejudicial to the interests of the private university, he shall request the concerned authority to revise its decision and in case the authority refuses to revise such decision wholly or partly or fails to take any decision within fifteen days, then such matter shall be decided by the Chancellor.

(11) The Vice-Chancellor shall exercise such powers and perform such duties as may be prescribed by the Statutes and the Ordinances.

(12) If at any time upon representation made or otherwise, it appears to the Chancellor that the Vice-Chancellor—

- (a) has made default in performing any duty imposed on him by or under this Act;
- or
- (b) has acted in a manner prejudicial to the interest of the private university; or
- (c) is incapable of managing the affairs of the private university.

the Chancellor may, notwithstanding the fact that the term of office of Vice-Chancellor has not expired, by an order in writing stating the reasons therein require the Vice-Chancellor to relinquish his office from such date as may be specified in the order.

(13) No order under sub-section (12) shall be passed unless the particulars of the grounds on which such action is proposed to be taken are communicated to the Vice-Chancellor and he is given reasonable opportunity of showing cause against the proposed order.

(14) As from the date specified in the order under sub-section (12), the Vice-Chancellor shall be deemed to have relinquished the office and the office of the Vice-Chancellor shall fall vacant.

Registrar.

18. (1) The appointment of the Registrar shall be made by the governing body on the recommendation of the expert committee constituted for the purpose, as prescribed by the Statutes, however, the first Registrar may be appointed by the sponsoring body pending creation of Statutes.

(2) All contracts shall be signed and all documents and records shall be authenticated by the Registrar on behalf of the private university.

(3) The Registrar shall be the member-secretary of the governing body, Board of Management and Academic Council but he shall not have the Right to vote.

(4) The Registrar shall exercise such other powers and perform such other duties as may be prescribed by the Statutes.

(5) If at any time upon representation made or otherwise, and after making such inquiry as may be deemed necessary, the situation so warrants that the continuance of the Registrar is not in the interest of the private university, the Vice-Chancellor may request the Chancellor in writing stating the reasons therein, for the removal of the Registrar:

Provided that before such action the Registrar shall be given an opportunity of being heard.

Chief Finance and Accounts Officer.

19. (1) The appointment of the Chief Finance and Accounts Officer shall be made by the Chancellor as may be prescribed by the Statutes.

(2) The Chief Finance and Accounts Officer shall exercise such powers and perform such duties as may be prescribed by the Statutes.

Other officers.

20. (1) The private university may appoint such other officers as may be necessary for its functioning.

(2) The manner of appointment of other officers of the private university and their power and functions shall be such as may be prescribed by the Statutes.

Authorities of private university.

21. (1) The following shall be the authorities of the private university, namely:—

- (a) the governing body;
- (b) the Board of Management;
- (c) the Academic Council; and
- (d) such other authorities as may be created by the Statutes.

(2) The term of the nominated members of the governing body and the Board of Management shall be three years and no nominated member shall hold office for more than two consecutive terms.

Governing body.

22. (1) The governing body of the private university shall consist of the following members, namely:—

- (a) the Chancellor;
- (b) the Vice-Chancellor;
- (c) three eminent persons nominated by the sponsoring body out of whom at least one shall be an eminent educationist;
- (d) three distinguished persons nominated by the Visitor out of a panel of six names submitted by the State Government;
- (e) one representative of the State Government not below the rank of Deputy Secretary.

(2) The Chancellor shall be the Ex-officio Chairman of the governing body.

(3) The governing body shall be the principal authority of the private university and all movable and immovable property of the private university shall vest in the governing body and it shall have the following powers, namely:—

- (a) to control functioning of the private university by using all such powers as are provided by this Act or the Statutes, Ordinances or regulations made thereunder;
- (b) to review the decisions of other authorities of the private university, in case they are not in conformity with the provisions of this Act or the Statutes, Ordinances or regulations made thereunder;
- (c) to approve the budget and annual report of the private university;
- (d) to lay down the policies to be followed by the private university;
- (e) to recommend to the sponsoring body the liquidation of the private university, if a situation arises when the functioning of the private university is not possible; and
- (f) such other powers as may be prescribed by the Statutes.

(4) The governing body shall meet at least three times in a calendar year.

(5) The quorum for meeting of the governing body shall be five members.

23. (1) The Board of Management shall consist of the following members, namely:—

Board of Management.

- (a) the Vice-Chancellor;
- (b) two representatives nominated by the sponsoring body;
- (c) two representatives nominated by the State Government;
- (d) two senior-most professors of the private university by rotation; and
- (e) two senior-most teachers of the private university other than in clause (d), by rotation.

(2) The Vice-Chancellor shall be the Ex-officio Chairperson of the Board of Management.

(3) The powers and functions of the Board of Management shall be such as may be prescribed by the Statutes.

(4) The Board of Management shall meet at least once in every two months.

(5) The quorum for meeting of the Board of Management shall be five members.

24. (1) The Academic Council shall consist of the Vice-Chancellor and such other members as may be prescribed by the Statutes.

Academic Council.

(2) The Vice-Chancellor shall be the Chairperson of the Academic Council.

(3) The Academic Council shall be the principal academic body of the private university and shall, subject to the provisions of this Act, Statutes, Ordinances and regulations, co-ordinate and exercise general supervision over the academic policies of the private university.

(4) The quorum for meeting of the Academic Council shall be such as may be prescribed by the Statutes.

25. The composition, constitution, powers and functions of other authorities of the private university shall be such as may be prescribed by the Statutes.

Other authorities.

First Statutes.

26. (1) Subject to the provisions of this Act and the rules made thereunder, the first Statutes of the private university may provide for all or any of the following matters, namely :—

- (a) the constitution, powers and functions of the authorities and other bodies of the private university as may be constituted from time to time;
- (b) the terms and conditions of appointment of the Vice-Chancellor and his powers and functions;
- (c) the manner and terms and conditions of appointment of the Registrar, Chief Finance and Accounts Officer and other officers and their powers and functions;
- (d) the manner and terms and conditions of appointment of teachers;
- (e) the manner and terms and conditions of services of employees of the private university;
- (f) the procedure for arbitration in case of dispute between officers, teachers, employees and students;
- (g) the conferment of honorary degrees;
- (h) the provision regarding exemption of students from payment of tuition fee and for awarding to them scholarship and fellowships;
- (i) the provisions regarding the policy of admission, including regulation of reservation of seats, specially for students of below poverty line family, Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, physically handicapped and other categories;
- (j) the provisions regarding fee to be charged from students and concession for the categories mentioned in clause (i);
- (k) the provision regarding number of seats in different courses.

(2) The first Statutes of the private university shall be made by the governing body and shall be submitted to the Regulatory Commission for approval.

(3) The Regulatory Commission shall consider the first Statutes submitted by the private university within two months from the date of its receipt and shall give its approval with such modifications as it may deem necessary.

(4) The private university shall communicate its consent to the first Statutes as approved by the Regulatory Commission and if it desires not to give effect to the modification made by the Regulatory Commission under sub-section (3), it may give the reasons therefor and the Regulatory Commission may or may not accept the suggestion made by the private university.

Subsequent Statutes.

27. (1) Subject to the provisions of this Act and the rules made thereunder, the subsequent Statutes of the private university may provide for all or any of the following matters, namely:—

- (a) creations of new authorities of the private university;
- (b) accounting policy and financial procedure;
- (c) representation of teachers in the authorities of the private university;
- (d) creation of new departments and abolition or restructuring of existing departments;
- (e) institution of medals and prizes;
- (f) creation of posts and procedure for their abolition;
- (g) revision of fee;
- (h) alteration of the number of seats in different courses; and
- (i) all other matters which under the provision of this Act are to be prescribed by the Statutes.

(2) The Statutes of the private university, other than the first Statutes, shall be made by the Board of Management with the approval of the governing body.

(3) The Statutes made under sub-section (2) shall be sent to the Regulatory Commission

and the Regulatory Commission may, if it considers necessary, give suggestions for modifications in it within two months from the date of receipt of the Statutes.

(4) The governing body shall consider the modifications suggested by the Regulatory Commission and return the Statutes to the Regulatory Commission with its comments on the suggestions.

(5) The Regulatory Commission shall consider the suggestions made by the governing body and the Statutes, as finally approved by the Regulatory Commission, shall come into force.

28. (1) Subject to the provisions of this Act and the rules or Statutes made thereunder, the first Ordinance may provide for all or any of the following matters, namely:—

- (a) admission of students to the private university and their enrolment mentioning clearly special consideration for the students of the specified categories;
- (b) details of courses of study to be prescribed for the degrees, diplomas and certificates of the private university;
- (c) award of the degrees, diplomas, certificates and other academic distinctions, the minimum qualifications for the same and the means to be adopted relating to the granting and obtaining of the same;
- (d) conditions for award of fellowships, scholarships, stipends, medals and prizes;
- (e) conduct of examinations, including the terms of office, manner of appointment and the duties of examination bodies, examiner and moderators;
- (f) examination fees to be charged for the various courses for degrees and diplomas of the private university;
- (g) conditions of residence of the students of the private university;
- (h) provisions regarding disciplinary action against the students;
- (i) creation, composition and functions of any other body which is considered necessary for improving the academic environment of the private university;
- (j) manner of co-operation and collaboration with other universities and institutions of higher education; and
- (k) all other matters which by this Act or Statutes made thereunder are required to be provided by the Ordinances.

(2) The first Ordinances of the private university shall be made by the Vice-Chancellor which shall be submitted to the Regulatory Commission for approval.

(3) The Regulatory Commission shall consider the first Ordinances submitted by the Vice-Chancellor under sub-section (2) within two month from the date of its receipt and shall either approve it or give suggestions for modifications.

(4) The Vice-Chancellor shall give his comments on the suggestions made by the Regulatory Commission and shall return the first Ordinance to the Commission and on receipt of the same, the Commission shall either approve the comments of the Vice-Chancellor or disapprove the same and on the basis of the final decision, the Ordinance, as approved by the Regulatory Commission, shall come into force.

29. All Ordinances, other than the first Ordinances, shall be made by the Academic Council with the approval of the Board of Management

Subsequent
Ordinance.

Provided that amendment of the first Ordinances shall be made after the approval of the Regulatory Commission.

Vacancies not to invalidate the proceedings of any authority or body of private university.

30. No act or proceeding of any authority or body of the private university shall be invalid merely by reason of any vacancy or defect in the constitution thereof.

Filling up of emergent vacancies.

31. Vacancies arising in the members of authorities or bodies of the private university due to death, resignation or removal of a member or due to change of capacity in which he was appointed or nominated shall be filled up as early as possible by the person or the body who had appointed or nominated such a member :

Provided that the person appointed or nominated as a member of an authority or body of the private university on an emergent vacancy shall remain member of such authority or body for only the remaining tenure of the member in whose place he is appointed or nominated.

Committees.

32. The authorities or officers of the private university may constitute such committees with such term of reference as may be necessary for specific tasks to be performed by such committees and the constitution of such committees and their duties shall be such as may be prescribed by the Statutes.

Mode of proof of private university record.

33. A copy of any receipt, application, notice, order, proceeding or resolution of any authority or committee of the private university or other document in possession of the private university, if certified by the Registrar shall be treated a prima facie evidence of such receipt, application, notice, order, proceeding, resolution or document or the existence of entry in the register and shall be admitted as evidence of the matter and transaction therein where the original thereof would if produced have been admissible in evidence.

Regulations.

34. (1) The authorities of the private university constituted by or under this Act may make regulations subject to the provisions of this Act, the Statutes and the Ordinances of the private university.

(2) The Board of Management may modify or annul any regulations made under this section by any authority.

Enforcement of Statutes, Ordinances and regulations.

35. All Statutes, Ordinances and Regulations shall come into force from their publication in the official Gazette.

CHAPTER IV—REGULATION OF PRIVATE UNIVERSITY

Regulatory Commission.

36. (1) A Regulatory Commission shall be established by the State Government for the purpose of providing a regulatory mechanism at the State level and for working as an interface between the State Government and the central regulatory bodies for the purpose of ensuring appropriate standards of teaching, examination, research, extension programme, protection of interest of the students and reasonable service conditions of the employees.

(2) The Regulatory Commission shall function under the general control of the Visitor.

(3) The Regulatory Commission shall consist of a Chairman and two full time members, out of which one member shall be member academic and another member as member administration and not exceeding two part time members.

(4) The Regulatory Commission shall have a full time or part time Secretary.

(5) The Chairman shall be appointed by the Visitor from a panel recommended by the State Government consisting of eminent educationists who have a thorough knowledge of the working of the institutions of higher education.

(6) The member and the Secretary shall be appointed by the Visitor from a panel recommended by the State Government consisting of persons of repute in the field of education, finance, law, administration and management.

(7) The Chairman and the members shall not be connected in any way with any of the private universities established under this Act.

(8) The Chairman and member of the Regulatory Commission shall hold office for a term of three years and two years respectively from the date on which he enters upon his office, or until he attains the age of sixty-five years, whichever is earlier, and he shall be eligible to be considered for a second term of aforesaid years, subject to the upper age limit of sixty-five years :

Provided that notwithstanding the expiry of the said period of three years or two years, as the case may be, he shall continue in office until his successor is appointed and enters upon his office, but such period shall not exceed six months :

Provided further that after the expiry of the term, the Chairman and the member of the Regulatory Commission shall be prohibited to accept any pecuniary benefits in any form or in any name whatsoever, and any assignment or employment in any of the private universities established under this Act.

(9) The other terms and conditions of services of the Chairman and the members, mode of authentication of orders and decisions of the Regulatory Commission and instrument issued by the Regulatory Commission, procedure for meeting of the Regulatory Commission, recruitment and service conditions of the staff of the Regulatory Commission, temporary, association of persons with the Regulatory Commission for particular purpose, fund of the Regulatory Commission, its budget, annual report, accounts, audit and such other matter as may be required for proper functioning of the Regulatory Commission shall be provided in the rules made by the State Government in this regard.

(10) It shall be the general duty of the Regulatory Commission—

- (a) to take all such steps as it considers necessary for determination and maintenance of standards of teaching, examination and research in the private university ;
- (b) notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, to ensure that private universities collect only such fees and other charges, which cover the cost of education imparted by them and also give a reasonable surplus to enable them to maintain assets and carry out further expansion;
- (c) to ensure that the teachers of the private university have at least the minimum educational qualifications prescribed by the University Grants Commission or other regulatory bodies;
- (d) to ensure that the staff of the private university is appointed in conformity with the Statutes, Ordinances and norms or guidelines prescribed by the University Grants Commission and other concerned statutory bodies;
- (e) to ensure that students enrolled in the private university are not exploited and no unethical means are adopted to collect undue or excessive fee from them;
- (f) to take action pertaining to and pursuant upon liquidation of a private university including arrangement for completion of courses, conduct of examinations, award of degrees etc. by assigning the job to some other State university in such a manner that the interest of the students are not adversely affected and the expenditure made for these arrangements for the students along with the process of liquidation of the private university shall be made good from the money deposited in the endowment fund and/or general fund.

(11) The State Government may issue directions on matters of policy to the Regulatory Commission which shall be binding.

Annual report.

37. (1) The annual report of the private university shall be prepared by the Board of Management which shall include, among other matters, the steps taken by the private university towards the fulfilment of the objectives and shall be approved by the governing body and a copy of the same shall be submitted to the sponsoring body.

(2) Copies of the annual report, prepared under sub-section (1), shall also be presented to the Visitor and the Regulatory Commission.

Annual account and audit.

38. (1) The annual accounts including balance sheet of the private university shall be prepared under the directions of the Board of Management and the annual accounts shall be audited at least once every year by the auditors appointed by the private university for the purpose.

(2) A copy of the annual accounts together with the audit report shall be submitted to the governing body.

(3) A copy of the annual accounts and audit report along with the observations, if any, of the governing body shall be submitted to the Visitor and the Regulatory Commission.

(4) The Regulatory Commission shall examine the annual report and accounts and audit report and the directions of the Regulatory Commission on the subject arising out of the annual report and accounts and audit report of the private university shall be binding on the private university.

Periodic inspection.

39. (1) The University Grants Commission may cause periodic inspection of the private university, and for this purpose the University Grants Commission may call for all relevant information from the concerned private university, as provided in the University Grants Commission (Returns and Information by Universities) Rules, 1979 as amended from time to time.

(2) After inspection and assessment of a private university providing graduate degree, post graduate degree and/ or diploma courses, the University Grants Commission may indicate to the private university any deficiency and non-conformity with the relevant University Grants Commission regulations and give it reasonable opportunity to rectify the same and if the University Grants Commission is satisfied that the private university has even after getting an opportunity to do so, failed to comply with the provisions of any of the regulations, the University Grants Commission may pass an order prohibiting the private university from offering any course for the award of the graduate degree, post graduate degree and / or diploma, as the case may be, till the deficiency is rectified.

(3) The University Grants Commission may take action against the private university for awarding a graduate degree, post graduate degree or diploma which is not specified by the University Grants Commission, and inform the public in general through a notification and a private university continuing such programme and awarding unspecified degrees shall be liable for penalty under Section 24 of the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956).

CHAPTER V—WINDING OF PRIVATE UNIVERSITY**Management of private university on dissolution of sponsoring body.**

40. (1) If the sponsoring body proposes to dissolve itself or wants to discontinue the function of the private university established under this Act, it shall inform the Regulatory Commission of its plan by which it shall ensure completion of courses and conduct of examinations, and it shall announce the prospective date from which it shall not admit any new students.

(2) The Regulatory Commission, on receipt of such information, shall have the right to issue such directions to the sponsoring body for the fulfilment of its obligations under sub-section (1) as it may deem necessary, and if the sponsoring body contravenes the provisions of sub-section (1), the endowment fund shall be forfeited by the Regulatory Commission and the Regulatory Commission shall make arrangements for completion of courses, conduct of examinations, award of degrees, etc. of students of the private university, either by undertaking the job itself or by assigning the job to some other university in such manner that the interest of the students are not

affected adversely in any manner and expenditure made for these arrangement for the students shall be made good from the money deposited in the endowment fund and/or general fund of the private university.

41. (1) On report of the Regulatory Commission or otherwise if it appears to the State Government that a situation of financial mismanagement and maladministration has arisen in the private university, it shall issue notice requiring the private university to show cause within forty five days as to,—

Special powers of State Government in certain circumstances.

- (a) why an order of its liquidation should not be made;
- (b) why the Board of Management should not be suspended and an Administrator be appointed under sub-section (7).

(2) If the State Government considers it necessary to suspend the Board of Management, it shall, by notification published in the official Gazette, order suspension of the Board Management and shall make such arrangement in consultation with the sponsoring body for the administration of the business of the private university, as it may consider necessary.

(3) If the State Government, on receipt of reply of the private university in respect of notice issued under sub-section (1), is satisfied that there is a prima facie case of financial mismanagement, maladministration or violation of any of the provisions of this Act, or direction issued thereunder, it shall make an order of such enquiry as it may consider necessary.

(4) The State Government shall, for the purpose of any enquiry under sub-section (3), appoint an officer or authority to enquire into any of the allegations and make report thereon.

(5) The enquiring authorities appointed under sub-section (4) shall have the same power as are vested in a civil court under the Code of Civil Procedure, 1908 (45 of 1908) while trying a suit in respect of the following matters, namely :—

- (a) summoning and enforcing the attendance of any person and examining him;
- (b) requiring the discovery and production of any document or material as may be required;
- (c) requisitioning any public record from any court or office;
- (d) any other matter which may be prescribed.

(6) Every enquiring authority enquiring under this Act shall be deemed to be a civil court for the purposes of Section 195 and Chapter XVI of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974).

(7) If the State Government, on receipt of the enquiry report, is satisfied that owing to financial mismanagement and maladministration a situation has arisen due to which the financial stability or administration of the private university has become insecure, it shall, by notification in the official Gazette, order liquidation of the private university or may cause the functioning of the private university to continue by appointing an Administrator who shall have the powers vested in the governing body:

Provided that no order of liquidation shall take effect unless the entry relating to such private university is deleted from the Schedule to this Act.

(8) While issuing notification in respect of liquidation under sub-section (7), the State Government shall till the end of current courses, make arrangement for the administration of business of the private university.

(9) The State Government during the period of management of private university under sub-section (8) shall use the fund available with the private university and the surplus, if any, shall be forfeited.

(10) All the expenses incurred in the process of enquiry and till the completion of admission of the students shall be met from the endowment fund or general fund of the private university.

CHAPTER VI—MISCELLANEOUS

Power to make rules.

42. (1) The State Government may, by notification in the official Gazette, make rules for carrying out of the purposes of this Act.

(2) Without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely :—

- (a) the manner of making proposal to establish a private university and the fees payable under sub-section (1) of Section 4;
- (b) other particulars to be contained in the project report under sub-section (2) of Section 4;
- (c) the mode of establishment of endowment fund, the manner of its investment, payment of income from it to the sponsoring body, its forfeiture and mode of its return to the sponsoring body under sub-section (3) of Section 11;
- (d) mode of collection of fee from the private university and depositing amount so collected in the consolidated fund under proviso to Section 12;
- (e) other matters to be provided for in the Statutes under sub-section (1) of Section 25;
- (f) mode of authentication of orders and decisions of the Regulatory Commission and the instruments issued by the Regulatory Commission, terms and conditions of services of Chairman and the members, procedure for meeting of the Regulatory Commission, provision of staff to the Regulatory Commission and their service conditions, temporary association of persons with the Regulatory Commission, its budget, annual report, accounts and audit and such other matters as may be required for proper functioning of the Regulatory Commission under sub-section (9) of Section 36;
- (g) other matters which are required to be prescribed by rules under this Act.

(3) All rules made under this Act shall be laid on the table of the Legislative Assembly.

Power to remove difficulties.

43. If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by order published in the official Gazette, not inconsistent with the provisions of this Act, remove the difficulty:

Provided that no such order shall be made after the expiry of a period of two years from the commencement of this Act.

THE SCHEDULE

[See Section 9(1)]

Serial No.	Name of private university	Name of sponsoring body	Mode of forming sponsoring body	Main campus	Jurisdiction
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)